

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2018—आषाढ़ 1, शक 1940

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. ई-5-821-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएस., सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर को दिनांक 28 से 30 जून 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जुलाई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1003-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएस., कलेक्टर, नरसिंहपुर को दिनांक 12 से 15 जून 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे: की अवकाश अवधि में श्री जे. समीर लकरा, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

4267

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे. द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. समीर लकरा, कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा भाप्रसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1063-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्री छोटे सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 22 से 26 मई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री छोटे सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छोटे सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2018

क्र. ई-1-137-2018-5-एक.—श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-5-713-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार पाण्डेय, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त को समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मई 2018 द्वारा दिनांक 22 से 28 मई 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 22 से 29 मई 2018 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-1059-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रबल सिपाहा, आयएएस., संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को दिनांक 1 से 11 जून 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2018

क्र. ई-5-477-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मई से 11 जून 2018 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में जल संसाधन विभाग का प्रभार, श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे. एवं श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे/होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	सदस्य

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 नवम्बर 2016 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे. (1984), कृषि उत्पादन आयुक्त को सदस्य नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यक्रम एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अर्चना सोलंकी**, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. ई-5-1056-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2018 द्वारा दिनांक 17 से 23 मई 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फजल मोहम्मद**, अवर सचिव "कार्मिक".

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मई 2018

फा. क्र. 1951-इक्कीस-ब(दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश विधि आयोग के सुचारू संचालन हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन करता है:—

क्र.	पदनाम	वित्त विभाग द्वारा मान्य संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूर्णकालिक अध्यक्ष	1	सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन-पेंशन 163000—71500= अनुमानित 92000/-
2	सदस्य सचिव	1	शासन द्वारा निर्धारित मानदेय अथवा प्रति बैठक के मान से मानदेय एवं टी.ए. (89158/- प्रतिमाह लगभग).
3	अंशकालिक सदस्य	2	144000—66500=अनुमानित 77500/-
4	अध्यक्ष के लिए निज सचिव	1	9300—34800+4200
5	सदस्य के लिये निज सहायक	1	9300—34800+3600
6	सदस्य/सचिव के लिये शीघ्र लेखक	1	9300—34800+3600
7	भृत्य (अध्यक्ष के लिये)	2	4440—7440+1300

(1)	(2)	(3)	(4)
8	भृत्य (सदस्य के लिये)	2	4440—7440+1300
9	अवर सचिव (प्रारूपण)	1	15600—39100+6600
10	रिसर्च असिस्टेंट	2	9300—34800—4200
11	अनुभाग अधिकारी	1	9300—34800+4200
12	सहायक ग्रेड-1	1	9300—34800+3600
13	सहायक ग्रेड-2	1	5200—20200+2400
14	सहायक ग्रेड-3	2	5200—20200+1900
15	अनुवादक	2	9300—34800—3200
16	लेखापाल	1	5200—20200+2400
17	भृत्य	2	4440—7440+1300 संविदा पर
18	फर्राश	1	4440—7440+1300
19	चौकीदार	1	(आउट सोर्सिंग के आधार पर स्वीकृत करने की शर्त पर)
20	स्वीपर	1	
21	ड्रायवर	3	5200—20200+1900 (आउट सोर्सिंग के आधार पर स्वीकृत करने की शर्त पर).

कुल 30

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)—सचिवालय योजना (1950)—राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 63-64-आर-502-ब-8-4-18, दिनांक 2 जून 2018 के अनुक्रम में जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ 11-71-2012-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसआईडीसी) ने मध्यप्रदेश शासन की ओर से मेसर्स देवास वाटरप्रोजेक्ट्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई के साथ स्विस चैलेंज मार्गदर्शन के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में देवास औद्योगिक क्षेत्र की योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, वित्त, क्रय, निर्माण, पुनर्गठन प्रणाली की स्थापना, पुनर्गठित जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण के लिए दिनांक 9 जनवरी 2018 को एक अनुबंध निष्पादित किया है.

और, यतः, उक्त परियोजना के निर्माण, संधारण, प्रबंधन तथा संचालन में अंतर्कलित व्यय, नियोजित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त

रिटर्न, मध्यप्रदेश शासन की ओर से ऐसे अनुबंध की अवधि के संबंध में, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मेसर्स देवास वाटरप्रोजेक्ट्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न उद्योगों से उक्त अनुबंध और उक्त नियमों के निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उपयोगकर्ता शुल्क की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर जल प्रभारों को संग्रहित करने एवं धारण करने के लिये नियुक्ति दिनांक से 15 जून 2037 तक अधिकृत करने का विनिश्चय करती है.

### उपयोगकर्ता शुल्क की अनुसूची

मेसर्स देवास वाटरप्रोजेक्ट्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जल प्रदाय के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली जल की दर रुपये 26.50 प्रति किलोलीटर होगी.

जल प्रदाय के उपयोगकर्ताओं से वसूले गए जल की आधार दर 2005-2006 में रु. 26.50 प्रति के. एल. थी.

जल का मूल्य निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा:—

$$पी 1 = PO \times [(axE1/E0+bxWP(i)/WPI(O) + cx CPI (i)/CPI(O)]$$

जहां :

- पी 1 = पीने योग्य जल की नई कीमत है.  
 पी0 = रु. 26.50 प्रति के. एल. है.  
 ए = विद्युत् उपभोग के लिए भार (वेटेज) 76% है.  
 ई 1 = वर्ष के 31 मार्च को विद्युत् दर प्रति किलो वाट घंटे-पुनरीक्षण किया जा रहा है.  
 ई 0 = जून 2005 को विद्युत् दर प्रति किलो वाट घंटे है.  
 बी = उपभोग योग्य 3.33% के लिए भार है.  
 सी = 20.67% समस्त अन्य प्रचालन और संधारण व्ययों के लिए भार है.

सीपीआई (O) = जून 2005 की स्थिति में इन्दौर में औद्योगिक कर्मकारों के लिए सी.पी.आई. है.

सीपीआई (i) = इन्दौर में औद्योगिक कर्मकारों के लिए वर्ष के 31 मार्च को जिसमें पुनरीक्षण किया जा रहा है, सी.पी.आई. है.

डब्ल्यू.पी.आई. (O) = जून 2005 की स्थिति में डब्ल्यू.पी.आई.

डब्ल्यू.पी.आई. (i) = वर्ष के 31 मार्च को, जिसमें कि पुनरीक्षण किया जा रहा है, डब्ल्यू.पी.आई. है.

डब्ल्यू.पी.आई. उपभोग योग्य के संबंध में है और सी.पी.आई. अन्य प्रचालन और संधारण व्यय के संबंध में है.

F. No. 11-71-2012-B-11.—WHEREAS the Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation Limited (MPSIDC) on behalf of the Government of Madhya Pradesh (GOMP), has entered into an agreement on dated 9th January 2018 with M/s Dewas Water Projects Works Private Limited, Mumbai for planning, Design, Engineering, Financing, Procurement, Construction, Restructuring, Establishment of Systems, Operation & Maintenance of Restructured Water Supply Scheme of Dewas Industrial Area in Madhya Pradesh State under Public Private Partnership (PPP) Mode under Swiss Challenge Guidelines.

AND WHEREAS, having regard to the expenditure involved in construction, maintenance, management and operation of the said project, interest on the capital invested, reasonable returns, the period of such agreement, in behalf of GOMP, MPSIDC decides

to authorize M/s Dewas Waterprojects Works Private Limited to collect and retain the water charges from different Industries from appointee date to 15th June 2037 at the rates specified in the Schedule annexed herewith subject to the terms and conditions of the said agreement and the said rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मंदा राठौर, अवर सचिव.

#### SCHEDULE OF USER FEE

Rates of water to be recovered from the user of water supply by the Concessionaire M/s Dewas Water projects Works Private Limited will be Rs. 26.50 per KL.

The base rate of water recovered from user of water supply was Rs 26.50 per KL as of 2005-06.

The Price of Water will be revised in accordance with the following formula:—

$$P1 = P0 \times [a \times E1 / E0 + b \times WPI(i) / WPI(o) + c \times CPI (i) / CPI(o)]$$

Where :

- P1 = New Price of Potable Water  
 P0 = Rs 26.50 per KL  
 a = Weightage for electricity consumption 76%.  
 E1 = Electricity Rate per kilo watt hour as on 31st March of the year the revision is being made.  
 E0 = Electricity Rate per kilo watt hour as on June 2005.  
 b = Weightage for Consumables 3.33%.  
 c = Weightage for all other Operation and Maintenance Expenses 20.67%  
 CPI(o) = CPI for Industrial Workers at Indore as of June 2005.  
 CPI(i) = is the CPI for Industrial Workers at Indore as of 31st March of the year in which the revision is being made.  
 WPI (o) = WPI as of June 2005  
 WPI (i) = is the WPI as of 31st March of the year in which the revision is being made.

WPI is in respect of Consumables and CPI is in respect of other Operation and Maintenance Expenses.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2018

क्र. 1030-198-2018-अठारह-6.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3745-3473-32-1-84, दिनांक 22 नवम्बर 1984 द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के संचालक मण्डल में मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर को सदस्य नामांकित किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्य वन संरक्षक इन्दौर के स्थान पर वन संरक्षक, वन मण्डल इन्दौर को सदस्य नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

## सूचना

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-13-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा विदिशा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त भोपाल, संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका विदिशा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-13-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्र. एफ-3-13-2012-बत्तीस, दिनांक 13 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## NOTICE

Bhopal the 13th June 2018

No. F-3-13-2012-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2031 for Vidisha Planning Area under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Bhopal Division, Bhopal Madhya Pradesh.
2. Collector, Vidisha Distt., Vidisha Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council Vidisha, Madhya Pradesh.
4. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. Office Vidisha, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

## सूचना

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-50-2014-बत्तीस-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6698-04-उपां-टीसी-इन्दौर 2017, दिनांक 7 दिसम्बर 2017 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

## अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वारोली	10/2/2, 10/2/2/ख, 80/1, 81/1, 80/3, 81/3, 82, 85/2, 87, 88/2 89, 90/1/2, 91/1, 91/2/क, 91/2/ख, 91/3, 91/4, 92/1, 92/4, 93/1/1, 93/1/2, 97/2, 151, 152, 153, 93/2, 10/1/1 में से, 10/1/2 में से 10/2/1क, 11/1, 12/1 में से 13/2, 85/1, 86, 88/1, 90/1/1.	16.419	कृषि एवं मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक शैक्षणिक एवं मार्ग.
			कुल	16.419	

1. आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 98,51,400/- (रुपये अनठयान्चे लाख इक्यावन हजार चार सौ रुपये मात्र) दिनांक 24 मई 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, ऑफ इण्डिया इन्दौर में चालन क्रमांक 02171122 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.
2. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना, 2021 को एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-53-2018-अठारह.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7012-14-उपां-टीसी-उज्जैन-2017, दिनांक 27 दिसम्बर 2017 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

## अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नागझिरी	79/मिन-1	4.037	औद्योगिक एवं मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग.
			योग	4.037	

शर्तें :

1. उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-81-2018-अठारह-5.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत मन्दसौर विकास योजना 2011 हेतु कलेक्टर जिला मन्दसौर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 1371/जि.यो.स./निर्णय क्रमांक 6/44/99/2000 मन्दसौर दिनांक 24 मई 2000 को निरस्त करते हुए मन्दसौर विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2)में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद नाम	संस्था का नाम/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
क	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद् मंदसौर	सदस्य
ख	अध्यक्ष	जिला पंचायत, मंदसौर	सदस्य
ग	लोकसभा सदस्य	संसदीय क्षेत्र मंदसौर/नीमच	सदस्य
घ	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, मंदसौर	सदस्य
ङ	प्राधिकारी न होने से	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण	निरंक
च	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, मंदसौर	सदस्य
छ	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, दाऊदखेड़ी	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, हैदरवास	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, मुल्तानपुरा	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, दौलतपुरा	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, बौलखेड़ा	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, बोहराखेड़ी	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, नालछा	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, खिलचीपुरा	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, अरन्याभट्टी	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, अजीजखेड़ा	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, कायमखेड़ा	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, निपानिया मेघराज	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, मिर्जापुर	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, मोहम्मदपुरा	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, सौधनी	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, छाजूखेड़ा	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, बहादरी	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, चांगली	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, रलायता	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, धारियाखेड़ी	सदस्य
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुराडियादेदा	सदस्य
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत, रूपावली	सदस्य
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत, जग्गाखेड़ी	सदस्य
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत, अलावदाखेड़ी	सदस्य
	25. सरपंच	ग्राम पंचायत, बाजखेड़ी	सदस्य



(1)	(2)	(3)	(4)
ज	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला मंदसौर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मंदसौर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंदसौर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मंदसौर	सदस्य
झ	समिति का संयोजक	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच (म. प्र.)	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.**

### सूचना

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-95-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा हरदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त नर्मदापुरम, संभाग होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, हरदा, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-95-2015-अठारह-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्र. एफ-3-95-2015-अठारह-5, दिनांक 13 जून 2018

का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.**

### NOTICE

Bhopal the 13th June 2018

No. F-3-95-2015-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Harda (Planning Area) 2031 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Narmadapuram Division, Hoshangabad, Madhya Pradesh.
2. Collector, Harda Distt., Harda Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council Harda Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Hoshangabad Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.**

## सूचना

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-96-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा कुक्षी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त इन्दौर, संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कुक्षी मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-96-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-3-96-2012-बत्तीस, दिनांक 13 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

## NOTICE

Bhopal the 13th June 2018

No. F-3-96-2012-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2031 for Kukshi Planning Area, under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Indore Division, Indore, Madhya Pradesh.

2. Collector, Dhar Distt., Dhar Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council Kukshi, Madhya Pradesh.
4. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Indore, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**SHUBHASHISH BANERJEE**, Dy. Secy.

## सूचना

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-147-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नागदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त उज्जैन, संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, नागदा, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

क्र. एफ-3-117-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-3-117-2011-बत्तीस, दिनांक 13 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शुभाशीष बैनर्जी**, उपसचिव.

## NOTICE

Bhopal the 13th June 2018

No. F-3-117-2011-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan 2031 for Nagda Planning Area, under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Ujjain Division, Ujjain, Madhya Pradesh.
2. Collector, Ujjain Distt., Ujjain Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council Nagda Madhya Pradesh.
4. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Ujjain, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya

Pradesh, Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2018

## शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-22-142-2004-आठ.—मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 295, दिनांक 28 मई 2018 में प्रकाशित अधिसूचना की पंक्ति 7 में त्रुटिवश अंकित दिनांक 8 मई 2015 को दिनांक 28 मई 2018 पढ़ा जावे.

कमल नागर, उपसचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2018

क्र. डी-17-05-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश में जायद (ग्रीष्मकालीन मूंग) मौसम वर्ष 2017-18 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रदेश के जिलों में समर्थन मूल्य में कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित दर प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 मौसम जायद (ग्रीष्मकालीन मूंग) के लिए परिशिष्ट-1 अनुसार फसल ग्रीष्मकालीन मूंग का वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया जाता है.

## परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश में जायद (ग्रीष्मकालीन मूंग) वर्ष 2017-18 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नांकित फसलों की बुवाई, कटाई एवं खरीदी के लिये वार्षिक कैलेन्डर की जानकारी:—

क्रमांक	फसल का नाम	बोआई का समय	कटाई का समय	सर्वाधिक मण्डी में आवक समय	प्रस्तावित खरीदी समय (पी.एस.एस.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जायद (ग्रीष्मकालीन मूंग)	फरवरी अन्त से मार्च तक.	15 मई से जून प्रथम सप्ताह तक.	जून से जुलाई तक	21 जून से जुलाई तक

भोपाल, दिनांक 11 जून 2018

मध्यप्रदेश में जायद (ग्रीष्मकालीन) मौसम वर्ष 2017-18 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन उड़द का प्रदेश के जिलों में समर्थन मूल्य में कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित दर प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 मौसम जायद (ग्रीष्मकालीन) के लिए परिशिष्ट-1 अनुसार फसल ग्रीष्मकालीन उड़द का वार्षिक कैलेंडर परिभाषित घोषित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश में जायद (ग्रीष्मकालीन) वर्ष 2017-18 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नांकित फसलों की बुवाई, कटाई एवं खरीदी के लिये वार्षिक कैलेंडर की जानकारी:—

क्रमांक	फसल का नाम	बोआई का समय	कटाई का समय	सर्वाधिक मण्डी में आवक समय	प्रस्तावित खरीदी समय (पी.एस.एस.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जायद (ग्रीष्मकालीन उड़द)	फरवरी अन्त से मार्च तक.	15 अप्रैल से जून प्रथम सप्ताह तक.	जून से जुलाई तक	21 जून से जुलाई अंत तक

### कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 जून 2018

क्र. 1319-री.ए.डी.एम.2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
2. ग्राम साहुखेड़ी क्षेत्र जो थाना खुडैल क्षेत्र में है को थाना कनाडिया, जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

#### सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना कनाडिया में सम्मिलित किये जाने हेतु
(1)	(2)	(3)
1	थाना खुडैल तहसील व जिला इन्दौर	1. साहुखेड़ी

No. 1319-R.A.D.M.-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below the local areas specified in the column (3) thereof, and
- (ii) Declares Village Sahukhedi which is under p.s. Khudel now comes under p.s. Kanadiya, District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table : —

TABLE

S. N.	Name of Police Station (with Tahsil and Distt.) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Village included in p.s.Kanadiya
(1)	(2)	(3)
1	Khudel Tehsil & Distt. Indore	1. Village Sahukhedi

क्र. 1322-री.ए.डी.एम.-2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

1. उस थाने से जो नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और

2. सुख निवास, व्हीआईपी परस्पर नगर, ममता नगर, रेती मंडी से केट रोड तक क्षेत्र जो थाना राजेन्द्र नगर क्षेत्र में है को थाना द्वारकापुरी, जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

## सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना द्वारकापुरी में सम्मिलित किये जाने हेतु
(1)	(2)	(3)
1	थाना राजेन्द्र नगर, तहसील व जिला इन्दौर —”— —”— —”—	1. सुख निवास 2. व्हीआईपी परस्पर नगर 3. ममता नगर 4. रेती मंडी से केट रोड तक

No. 1322-R.A.D.M.-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below the local areas specified in the column (3) thereof, and

- (ii) Declares Sukh Viwas, NIP paraspar Nagar, Mamta Nagar, From Reti mandi to CAT rod which is under p.s. Rajendra Nagar now comes under Dwarkapuri, District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table : —

TABLE

S. N.	Name of Police Station (with Tahsil and Distt.) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Village included in p.s.Dwarkapuri
(1)	(2)	(3)
1	Rajendra Nagar, Tahsil & Distt. Indore —”—	1. Sukh Niwas 2. VIP Paraspar Nagar 3. Mamta Nagar 4. From Reti Mandi to CAT Road

क्र. 1325-री.ए.डी.एम.-2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
2. सुभाष चौक पानी की टंकी, जैन मंदिर, शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित शासकीय आवास गृह क्षेत्र जो थाना सदर बाजार क्षेत्र में है को थाना सराफा, जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

## सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना सराफा में सम्मिलित किये हेतु
(1)	(2)	(3)
1	थाना सदर बाजार, तहसील व जिला इन्दौर —”— —”— —”—	1. सुभाष चौक पानी की टंकी 2. जैन मंदिर 3. शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय. 4. पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित शासकीय आवास गृह.

No. 1325-R.A.D.M.-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and, in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below the local areas specified in the column (3) thereof, and
- (ii) Declares Subhas Chouk pani Ki Tanki, Jain Mandir, Govt. Kasturba Kanya Higher Secondary School, Govt. Quarter situed in Old SP offie which is under p.s. sadar Bazar now comes under p.s. Sarafa, District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table : —

TABLE

S. N.	Name of Police Station (with Tahsil and Distt) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Village included in p.s.Sarafa
(1)	(2)	(3)
1	Sadar Bazar Tahsil & distt. Indore	1. Shubash Chouk Pani Ki Tanki 2. Jain Mandir 3. Govt. Kasturba Kanya Higher Secondary School. 4. Govt. Quarter situed in Old SP office

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवड़े, कलेक्टर/उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-50 अ-82-16-17-6553

सागर, दिनांक 31 मई 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत प्राप्त आपत्ति के परीक्षण एवं जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा-बरा-केरबना मार्ग के कि.मी. 4/6-8 में ग्राम चौका के पास बेवस नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : बण्डा
  3. ग्राम : मुडिया
  4. पट.ह.नं.- : 50
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.120 है.

स. क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित भूमि का विवरण		भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुमेश पिता सुमेशचंद जैन निवासी बण्डा	भूमिस्वामी	423	1.980	0.120	0.000	निरंक
योग:-			01	1.980	0.120	0.000	निरंक

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 22/7/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 मई 2018

द्विकरण क्रमांक / 06 /अ-82/17-18 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 05 में वर्णित भूमि के खाने 07 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राजस्व शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।  
(क) - जिला रायसेन ।  
(ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।  
(ग) - ग्राम छोला, झिरिया बरामद गढी, बेरखेडी बरामद गढी ।  
- :: अनुसूची :: -  
- :: भूमि का विवरण :: -

ग्राम का नाम	तहसील / जिला	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
छोला	बेमगंज / रायसेन	पारवतीबाई पुत्री लालजू जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	2/1	1.235	1.235	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ	मडिया बंध निर्माण हेतु
			5	2.752	2.752	--,,--	--,,--
			10/1	2.023	2.023	--,,--	--,,--
			15/2	0.708	0.708	--,,--	--,,--
			15/4	1.412	1.412	--,,--	--,,--
			16	0.656	0.656		
			204/2/1	0.101	0.101	--,,--	--,,--
,,	,,	सावित्रीबाई पुत्री लालजू पत्नि गाविन्द प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	2/2/1	2.210	2.210	--,,--	--,,--
			204/2/2	0.405	0.405	--,,--	--,,--
,,	,,	भारतसिंह आ. गोविन्द प्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	2/2/2	0.291	0.291	--,,--	--,,--
			4	1.582	1.582	--,,--	--,,--
			10/2	1.313	1.313	--,,--	--,,--
		भागवतीबाई पुत्री लालजू जाति कुर्मी पता	2/3	0.966	0.966	--,,--	--,,--



	-,-	सा. देवलापुर भूमि स्वामी	3	3.116	3.116	--,,--	--,,--
			10/3	4.902	4.902	--,,--	--,,--
	-,-	श्रीमति रामकलीबाई पत्नी रामचरण जाति साहू पता नि. बेगमगंज भूमि स्वामी	6/1	1.720	1.720	--,,--	--,,--
	-,-		6/2	1.967	1.967	--,,--	--,,--
			57/1	0.921	0.921	--,,--	--,,--
	-,-	गोरेलाल आ. करनसिंह जाति कुर्मी पता सा. सुमेर भूमि स्वामी	7	0.615	0.615	--,,--	--,,--
			8	0.348	0.348	--,,--	--,,--
	-,-	मुन्नालाल पुत्रकरनसिंह जाति कुर्मी पता सा. सुमेर भूमि स्वामी	9	1.323	1.323	--,,--	--,,--
			36	0.615	0.615	--,,--	--,,--
	-,-	रेवाराम आ. बलदेवप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. मडदेवरा जिला सागर भूमि स्वामी	11/1	0.202	0.202	--,,--	--,,--
	-,-		12/2	0.243	0.243	--,,--	--,,--
	-,-		13/1/2	2.740	2.740	--,,--	--,,--
			14/1	1.700	1.700	--,,--	--,,--
			72	1.643	1.643	--,,--	--,,--
	-,-	कमलेश कुमार आ. जगन्नाथ जाति कुर्मी पता सा. मडदेवरा जि. सागर भूमि स्वामी	11/2/1	1.946	1.946	--,,--	--,,--
	-,-	कृष्णकुमार आ. जगन्नाथ जाति कुर्मी पता देवलापुर भूमि स्वामी	11/2/2	0.344	0.344	--,,--	--,,--
			14/2	1.501	1.501	--,,--	--,,--
			71/1	2.727	2.727	--,,--	--,,--
	-,-	राघवेन्द्र आ. अशोक कुमार जाति पता निवासी मडदेवरा जिला सागर भूमि स्वामी	11/2/3	0.955	0.955	--,,--	--,,--
	-,-		12/1	0.275	0.275	--,,--	--,,--
			13/1/1	0.186	0.186	--,,--	--,,--
		रामप्यारी बाई पत्नि पूरनसिंह जाति कुर्मी पता नि. सुमेर भूमि स्वामी	13/2/1/1	0.445	0.445	--,,--	--,,--
			25/2/1 26,27	0.914	0.914	--,,--	--,,--
			25/3/1 26,27	1.465	1.465	--,,--	--,,--
			190/29/1	0.089	0.089	--,,--	--,,--
	-,-	पूरन आ. बलदेव जाति कुर्मी सा देवलापुर भूमि स्वामी	13/2/1/2	0.526	0.526	--,,--	--,,--
	-,-		22	0.413	0.413	--,,--	--,,--
	-,-		25/2/2 26,27	1.109	1.109	--,,--	--,,--
	-,-		25/3/2 26,27	1.275	1.275	--,,--	--,,--
			46/1	0.849	0.849	--,,--	--,,--
			47	0.575	0.575	--,,--	--,,--
			48/1	0.466	0.466	--,,--	--,,--
		जितेन्द्र आ. मोहन सिंह, जाति कुर्मी सा. देवलापुर	13/2/2/1	0.340	0.340	--,,--	--,,--

		प्रिस नाबा. पुत्र जितेन्द्र वैष्णवी नाबा. पुत्री जितेन्द्र बलि. मामा. महादेव आ. फुलसिंह निवासी खिरिया जिला सागर	13/2/2/2	1.619	1.619	--,,--	--,,--
		मानसिंह आ. रामप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	25/1/2 26,27	1.651	1.651	--,,--	--,,--
			25/1/3/1 26,27	0.275	0.275	--,,--	--,,--
			33/2	0.409	0.409	--,,--	--,,--
			188/25	0.182	0.182	--,,--	--,,--
			189/29	0.129	0.129	--,,--	--,,--
		भागवतीबाई पार्वतीबाई सावित्री बाई आ. लालजू जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर बराबर भाग भूमि स्वामी	15/1	0.809	0.809	--,,--	--,,--
		माधवसिंह आ. गोविन्द प्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	15/3	2.125	2.125	--,,--	--,,--
			17	1.060	1.060	--,,--	--,,--
		हीरालाल महेन्द्र सिंह आ. लक्ष्मण मीराबाई चिरोंजीबाई सरजूबाई रेवतीबाई पुत्रिया लक्ष्मण रामरति बाई वेबा लक्ष्मण जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	18/1	0.728	0.728	--,,--	--,,--
			21/1	0.218	0.218	--,,--	--,,--
			201/18	1.214	1.214	--,,--	--,,--
		वैजन्ती बाई पत्नि मेहेन्द्र सिंह जाति कुर्मी पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	18/2/1	0.040	0.040	--,,--	--,,--
			21/2/1	0.567	0.567	--,,--	--,,--
		भैयालाल आ. मोतीलाल जाति कुर्मी पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	18/2/2	0.761	0.761	--,,--	--,,--
			21/2/2	0.788	0.788	--,,--	--,,--
		अ.जब्बार आ. करीम जाति पठान पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	19/1 शा.न. 20,179/18	1.954	1.954	--,,--	--,,--
		कहार आ. करीम जाति पठान पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	19/2 शा.न. 20,179/18	1.950	1.950	--,,--	--,,--
		सत्तार आ. करीम जाति पठान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19/3 शा.न. 20,179/18	1.950	1.950	--,,--	--,,--
		महेन्द्र सिंह आ. लक्ष्मणसिंह जाति कुर्मी पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	23	0.656	0.656	--,,--	--,,--
			24	3.261	3.261	--,,--	--,,--
		बद्री प्रसाद आ. रामप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	25/1/1 26,27	0.562	0.562	--,,--	--,,--
			25/1/3/2 26,27	0.943	0.943	--,,--	--,,--
			30	1.218	1.218	--,,--	--,,--
			33/1	0.409	0.409	--,,--	--,,--
			43/1	0.405	0.405	--,,--	--,,--

			28	0.360	0.360	--,,--	--,,--
		परमलाल पुत्र बलदेवप्रसाद हि. 1/2 राजेश सौरभ पुत्रगण परमलाल जाति कुर्मी पता निवासी सुमेर भूमि स्वामी	29	3.161	3.161	--,,--	--,,--
			44/1	2.100	2.100	--,,--	--,,--
			190/29/2	0.202	0.202	--,,--	--,,--
		गोरिलाल मुन्नालाल रघुवीर आ. करनसिंह जाति कुर्मी पता नि. सुमेर बराबर भाग भूमि स्वामी	34	0.057	0.057	--,,--	--,,--
			39/1/1	0.942	0.942	--,,--	--,,--
			116	0.575	0.575	--,,--	--,,--
			117	0.129	0.129	--,,--	--,,--
			198/118/3/1	0.182	0.182	--,,--	--,,--
		हरीसेवक राममनोहरपुत्र रतनलाल फूलबाई वेबा रतनलाल जाति भाट पता सा. सुमेर बराबर भाग भूमि स्वामी	37/1	0.243	0.243	--,,--	--,,--
			38/1	0.566	0.566	--,,--	--,,--
			40	0.154	0.154	--,,--	--,,--
			41/1	0.842	0.842	--,,--	--,,--
		शंकरदयाल आ. बखतराम जाति भाट पता सा. सुमेर तह बेगमगंज जिला रायसेन भूमि स्वामी	37/2	0.202	0.202	--,,--	--,,--
			38/2	0.607	0.607	--,,--	--,,--
			41/2/1	0.793	0.793	--,,--	--,,--
		गोपाल प्रसाद पुत्रवखतराम जाति भाट पता सा. सुमेर भूमि स्वामी	37/3	0.357	0.357	--,,--	--,,--
			38/3	0.324	0.324	--,,--	--,,--
			118/1	1.141	1.141	--,,--	--,,--
		विजयबाबू आ. परसराम जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम सुमेर भूमि स्वामी	39/1/2/1	0.445	0.445	--,,--	--,,--
		राकिशोरी वेबा परसराम राजबाई पुत्री परसराम जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम सुमेर भूमि स्वामी	39/1/2/2	0.223	0.223	--,,--	--,,--
			198/118/3/2	0.182	0.182	--,,--	--,,--
		शिवराजसिंह आ. परसराम जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम सुमेर भूमि स्वामी	39/1/2/3	0.546	0.546	--,,--	--,,--
		जसवंत बालिग सिद्धांत वेदांत ना. बा. शिवानी ना. बा. पुत्र पुत्री महेन्द्रसिंह सीताबाई वेबा महेन्द्रसिंह सं. मां स्वयं जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम सुमेर भूमि स्वामी	39/1/2/4	0.486	0.486	--,,--	--,,--
		शंकरलाल, गोपाल पुत्र वखतराम, सुशीला, प्रभा सिया पुत्री वखतराम हि. 83पै. हरीसेवक, रामसेवक, राममनोहर, पुत्र रतनलाल, कलाबाई वेबा रतनलाल हि. 17पै. जाति भाट पता सा. सुमेर भूमि	39/2	0.340	0.340	--,,--	--,,--
			112	0.085	0.085	--,,--	--,,--
			113	0.049	0.049	--,,--	--,,--
			114	0.097	0.097	--,,--	--,,--

	स्वामी	115	0.384	0.384	--,,--	--,,--
	शंकरदयाल आ. बखतराम जाति भाट पता सा. सुमेर तह बेगमगंज जिला रायसेन भूमि स्वामी	41/2/1	0.793	0.793	--,,--	--,,--
	बाबूलाल आ. जमनाप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. हपसिली भूमि स्वामी	42/1	1.380	1.380	--,,--	--,,--
		118/2/2	0.041	0.041	--,,--	--,,--
		198/118/2/1	0.057	0.057	--,,--	--,,--
	थानसिंह आ. दीनदयाल जाति कर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	42/2/1	0.809	0.809	--,,--	--,,--
	दीनदयाल पुत्रजमनाप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. हपसिली भूमि स्वामी	42/2/2	0.571	0.571	--,,--	--,,--
		198/118/2/2	0.097	0.097	--,,--	--,,--
	गुलाब सिंह दीनदयाल बाबूलाल पुत्र जमनाप्रसाद जाति कुर्मी पता नि. हपसिली भूमि स्वामी	42/3	1.478	1.478	--,,--	--,,--
	गुलाब आ. जमनाप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. हपसिली भूमि स्वामी	42/4/1	0.971	0.971	--,,--	--,,--
		118/2/1	0.101	0.101	--,,--	--,,--
	मथुराप्रसाद आ. दीनदयाल जाति कुर्मी पता नि. हपसिली भूमि स्वामी	42/4/2	0.405	0.405	--,,--	--,,--
	दिनेश कुमार आ. बंदीप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	43/2	1.072	1.072	--,,--	--,,--
	दामोदर पुत्रपूरनसिंह जाति कुर्मी पता सा. सुमेर भूमि स्वामी	44/2	2.262	2.262	--,,--	--,,--
	हीरालाल पुत्र लक्ष्मण जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	45	4.375	4.375	--,,--	--,,--
	श्रीमति राधारानी पत्नी घनश्याम जाति चमार पता नि. पथरिया सागर भूमि स्वामी	46/2/1	1.720	1.720	--,,--	--,,--
		48/2	0.279	0.279	--,,--	--,,--
	जयदीप वल्द महेन्द्र सिंह जाति कुर्मी पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	46/2/2	0.705	0.705	--,,--	--,,--
	सुन्दर आ. चुन्ना जाति चमार पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	46/3	0.380	0.380	--,,--	--,,--
		48/3/1	0.620	0.620	--,,--	--,,--
		49/1	0.125	0.125	--,,--	--,,--
		53	0.271	0.271	--,,--	--,,--
		54	0.210	0.210	--,,--	--,,--
		55	0.494	0.494	--,,--	--,,--

		वसीर खां छोटे खां जाति नट पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	48/3/2/1 शा.न. 49/2	0.420	0.420	--,,--	--,,--
			48/3/2/4 शा. न. 49/2	0.416	0.416	--,,--	--,,--
		राजाराम आ. कडोरी जाति चमार पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	48/3/2/2 शा. न. 49/2	0.416	0.416	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	रामस्वरूप आ. कडोरी जाति चमार पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	48/3/2/3 शा. न. 49/2	0.416	0.416	--,,--	--,,--
		ममताबाई वेबा दयाराम अभिषेक आशीष कविता राजकुमारी आ. दयाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/3/2/5 शा. न. 49/2	0.425	0.425	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	नारायणसिंह आ. रामसिंह पूनाबाई पुत्री रामसिंह राधारानी वेबा रामसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	50/1	1.303	1.303	--,,--	--,,--
			65/1	0.258	0.258	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	रामरतन आ पुन्ना जाति चमार पता साा. देवलापुर भूमि स्वामी	50/2	1.133	1.133	--,,--	--,,--
			65/3	0.259	0.259	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	सुनीलकुमार पुत्र रामचरण जाति साहू पता निवासी ग्राम बेगमगंज भूमि स्वामी	57/2	2.428	2.428	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	ग्याप्रसाद आ. तुलाराम हिस्सा 0.957 हैक्ट. दिनेशकुमार आ. तुलाराम 0.755 हैक्ट. जाति धोबी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	60/1/1/1	1.012	1.012	--,,--	--,,--
			60/2/1/1	0.700	0.700	--,,--	--,,--
		बाबूलाल आ. छोटेलाल जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	60/1/1/2	0.202	0.202	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	शकुन बाई पत्नि शंकर कुमार जाति कुर्मी मढदेवरा जिला सागर	60/2/2	0.809	0.809	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	सुरेश, सुरेन्द्र, पुत्र परसोतम, सुमन, व., सविता, पुत्रियां परसोतम जाति धोबी	60/1/2	0.194	0.194	--,,--	--,,--
			60/2/1/2	0.105	0.105	--,,--	--,,--
		राकेशकुमार पुत्र मूलचन्द जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम बेगमगंज भूमि स्वामी	60/2/3	1.214	1.214	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	प्रभाबाई पत्नि बलराम जाति कुर्मी पता निवासी देवलापुर भूमि स्वामी	61	0.112	0.112	--,,--	--,,--
			62/2	0.433	0.433	--,,--	--,,--
			199/62/2	0.320	0.320	--,,--	--,,--

		बलराम अ. रघुवीर जाति कर्मी पता सा. देवलापुर बराबर भाग भूमि स्वामी	62/1/1 <del>63</del> 21-1-63 ✓	2.100	2.100	--,,--	--,,--
--	--	श्रीराम आ. रघुवीर जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	62/1/2 <del>63</del> 21-1-63 ✓	1.838	1.838	--,,--	--,,--
			64 ✓	1.072	1.072	--,,--	--,,--
--	--	भुजवल पुत्र पुन्ना जाति चमार पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	65/2 ✓	0.255	0.255	--,,--	--,,--
		दिलीप सिंह आ. दरयाव सावित्री गायत्री सरोज पु. दरयाव भागवती वेबा दरयाव जाति चमार पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	65/4 ✓	0.259	0.259	--,,--	--,,--
--	--	विन्ना बाई पत्नि पन्नालाल जाति चमार पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	68/1 ✓	0.465	0.465	--,,--	--,,--
--		विजयसिंह सोमेश कुमार आ. पन्नालाल विन्नाबाई वेबा पन्नालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	68/2 ✓	0.231	0.231	--,,--	--,,--
--	--		69/1/1 ✓	0.405	0.405	--,,--	--,,--
--	--		69/1/2 ✓	0.360	0.360	--,,--	--,,--
--	--		69/2 ✓	1.566	1.566	--,,--	--,,--
--	--		184/80/1/1 ✓	0.085	0.085	--,,--	--,,--
--	--		184/80/1/2 ✓	0.045	0.045	--,,--	--,,--
--		कुंवर सिंह सीताराम कृष्णमुरारी आ. चैनसिंह रेखाबाई देवकुमारी आ. चैनसिंह सीतारानी वेबा चैनसिंह जाति घोषी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70 ✓	1.489	1.489	--,,--	--,,--
--	--		79/1 ✓	0.530	0.530	--,,--	--,,--
--	--		79/2 ✓	0.530	0.530	--,,--	--,,--
			181/79 ✓	0.129	0.129	--,,--	--,,--
		धनीराम आ. दम्पू जाति चमार पता सा. देह देवलापुर भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भूमि	71/2 ✓	0.809	0.809	--,,--	--,,--
--	--	रुस्तम अनवर आ. नसीब खां खातूनीबी पुत्री नसीब खां खातून बी वेबा नसीब खां हि. 74 पै. जुनीबा अजमद ना.बा. पुत्रगण मेहबूब अली वली दादी वेनीबाई वेबा अयूब अली हि. 26 पैसा जाति नट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	76/1/1 ✓	1.315	1.315	--,,--	--,,--
			78/2 ✓	0.454	0.454	--,,--	--,,--
--	--	कृष्णगोपाल आ. कडोरीलाल जाति कुर्मी पता सा. प्यासी तह. खुरई जिला सागर भूमि स्वामी	76/1/2 ✓	0.809	0.809	--,,--	--,,--
			95 ✓	0.914	0.914	--,,--	--,,--
--	--	अनवर खां नसीब खा जाति मुसलमान पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	76/2 ✓	0.607	0.607	--,,--	--,,--

		बाबूलाल आ. भुगन्त जाति घोषी पता नि. देवलापुर भूमि स्वामी	77	2.591	2.591	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	देवेन्द्रसिंह आ. कडोरी जाति कुर्मी पता नि. प्यासी तह. खुरई सागर भूमि स्वामी	78/1	0.607	0.607	--,,--	--,,--
		मुन्शीलाल आ. छिमादर जाति कुरमी पता नि. मडदेवरा भूमि स्वामी	80	0.397	0.397	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	देवराज सिंह पुत्र गनपत सिंह जाति कुरमी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	82/1	1.676	1.676	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--		82/3	1.092	1.092	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--		91/1	0.405	0.405	--,,--	--,,--
			91/3	0.238	0.238	--,,--	--,,--
			92	0.579	0.579	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	कुवेरसिंह पुत्र गनपतसिंह जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	82/2	1.760	1.760	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--		91/2	0.809	0.809	--,,--	--,,--
			93	1.218	1.218	--,,--	--,,--
			94	0.247	0.247	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	महेश कुमार आ. प्रीतम प्रसाद जाति तेली पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	83	0.514	0.514	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--		90	2.020	2.020	--,,--	--,,--
			97/4	1.574	1.574	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	दीनदयाल आ. केशरी जाति तेली पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	84/1	0.162	0.162	--,,--	--,,--
			86/2	0.278	0.278	--,,--	--,,--
			97/2	3.670	3.670	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	भागचंद पुत्रकेसरी जाति तेली पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	84/2	0.113	0.113	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--		86/1	0.162	0.162	--,,--	--,,--
			97/3	3.759	3.759	--,,--	--,,--
			205/86	0.073	0.073	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	सुरेश कुमार आ. केशरी जाति तेली पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	86/3	0.445	0.445	--,,--	--,,--
			87	1.274	1.274	--,,--	--,,--
			88	0.769	0.769	--,,--	--,,--
			89	0.255	0.255	--,,--	--,,--
			97/1	1.372	1.372	--,,--	--,,--
--,,--	--,,--	राजेन्द्र सिंह आ. नर्बदाप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देवलापुर भूमि स्वामी	98/1	9.736	9.736	--,,--	--,,--
		इन्दू कुमारी पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम देवलापुर भूमि स्वामी	98/2	0.405	0.405	--,,--	--,,--

		निरपतसिंह आ. दामोदर प्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	109/1	3.832	3.832	--,,--	--,,--
			111/1/1	0.825	0.825	--,,--	--,,--
			120/1	0.788	0.788	--,,--	--,,--
			121/1	0.809	0.809	--,,--	--,,--
			122/1/1	0.405	0.405	--,,--	--,,--
		तुलाराम पुत्र गौरीशंकर जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	109/2	3.828	3.828	--,,--	--,,--
			119/2/1	0.405	0.405	--,,--	--,,--
			127/1	2.480	2.480	--,,--	--,,--
		लक्ष्मण आ. दामोदर जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/1/1	3.081	3.081	--,,--	--,,--
			119/1/2	0.591	0.591	--,,--	--,,--
			120/2	0.405	0.405	--,,--	--,,--
			121/2	0.606	0.606	--,,--	--,,--
			122/1/2	0.202	0.202	--,,--	--,,--
		तुलाराम पुत्र दामोदरप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. हपसिली भूमि स्वामी	110/1/2	3.240	3.240	--,,--	--,,--
			119/1/3	0.624	0.624	--,,--	--,,--
			120/3	0.405	0.405	--,,--	--,,--
			121/3	0.607	0.607	--,,--	--,,--
		दीपक आ. लक्ष्मीप्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	110/2	1.736	1.736	--,,--	--,,--
			122/2/1	0.109	0.109	--,,--	--,,--
			127/2	2.104	2.104	--,,--	--,,--
		महेश कुमार आ. काशीराम जाति कुर्मी पता निवासी हपसिली भूमि स्वामी	111	2.420	2.420	--,,--	--,,--
		धनराज आ. लक्ष्मीप्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	119/2/2	1.438	1.438	--,,--	--,,--
			122/2/2	0.979	0.979	--,,--	--,,--
			123/2	0.353	0.353	--,,--	--,,--
			124/1	1.173	1.173	--,,--	--,,--
		रुकमणीबाई पत्नि शंकरलाल जाति भाट पता निवासी ग्राम सुमेर भूमि स्वामी	198/118/1/1	0.405	0.405	--,,--	--,,--
			198/118/1/2	0.412	0.412	--,,--	--,,--
		रोहित कुमार पुत्रसीताराम जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम हपसिली	123/1	1.140	1.140	--,,--	--,,--
			128/1	0.607	0.607	--,,--	--,,--
		सीताराम आ. करनसिंह जाति कुर्मी पता सा हपसिली भूमि स्वामी	124/2	0.353	0.353	--,,--	--,,--
			125	0.709	0.709	--,,--	--,,--
			126	0.433	0.433	--,,--	--,,--
			128/2/1	1.130	1.130	--,,--	--,,--
			130/1/1	0.809	0.809	--,,--	--,,--
		ब्रजलाल आ. करनसिंह जाति कुर्मी पा	128/2/2	0.445	0.445	--,,--	--,,--



	--	हपसिली भूमि स्वामी	128/3	1.461	1.461	--	--
	--		129/1	0.926	0.926	--	--
	--		129/2	0.926	0.926	--	--
	--		129/3	0.926	0.926	--	--
	--		130/1/2	2.590	2.590	--	--
--	--	श्रीमति सविताबाई पत्नि जयप्रकाश पुत्री	129/4	0.922	0.922	--	--
--	--	लालजी पटेल जाति कुर्मी पता निवासी	130/2/1	0.817	0.817	--	--
--	--	ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	130/2/2	0.393	0.393	--	--
--	--		133/1/1	0.073	0.073	--	--
--	--		133/1/2	0.405	0.405	--	--
			200/132/1/1	0.032	0.032	--	--
			200/132/1/2	0.458	0.458	--	--
			200/132/1/3	0.777	0.777	--	--
			200/132/1/4	0.121	0.121	--	--
			200/132/1/5	0.323	0.323	--	--
--	--	नारायण सिंह पुत्रउदयजीत सिंह जाति	132	0.453	0.453	--	--
--	--	कुर्मी पता हपसिली भूमि स्वामी	133/2	0.478	0.478	--	--
--	--		134	0.672	0.672	--	--
			136	0.587	0.587	--	--
			200/132/2	0.713	0.713	--	--
		जानकी पत्नि नारायणसिंह जाति कुर्मी	137	3.921	3.921	--	--
		पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी					
--	--	किरण पत्नि वुजकिशोर जाति कुर्मी पत्नी	139	0.494	0.494	--	--
--	--	निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी	140	1.344	1.344	--	--
			141	0.777	0.777	--	--
		वृजकिशोर आ. नारायणसिंह जाति कुर्मी	142	1.700	1.700	--	--
		पता निवासी ग्राम हपसिली भूमि स्वामी					
--	--	प्रताप सिंह आ गोविन्द सिंह जाति जाट	143	1.400	1.400	--	--
--	--	पता नि. बेगमगंज भूमि स्वामी	146	1.307	1.307	--	--
			147	0.376	0.376	--	--
			148	0.190	0.190	--	--
--	--	मलखानसिंह आ. रामनाथसिंह जाति जाट	145	0.636	0.636	--	--
		पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी					
--	--	इंद्रबाई पत्नि रामरतन जाति कुर्मी	199/62/1	0.890	0.890	--	--
		निवासी देवलापुर					
		योग:-	261	249.000	249.000		

रिया मद की	बेगमगंज / रायसेन	आशिक अली आ. अब्बास अली रफीका वी पत्नि आशिक अली जाति मुस. पता सा देह भूमि स्वामी	64/1 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓	-,-	-,-
			64/6 ✓	3.055 ✓	3.055 ✓	-,-	-,-
			74/1 ✓	0.631 ✓	0.631 ✓	-,-	-,-
-	-,-	इकरार मो. आ. इनायत मो. जाति मुसलमान पता निवासी वार्ड कमाकं 8 बेगमगंज भूमि स्वामी	64/3 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓	-,-	-,-
-	-,-	अवसार अली आ. किफायत अली पता सा. देह भूमि स्वामी	64/4 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓	-,-	-,-
-	-,-		64/5/1 ✓	2.003 ✓	2.003 ✓	-,-	-,-
-	-,-		74/3 ✓	0.631 ✓	0.631 ✓	-,-	-,-
-	-,-		139/64/1 ✓	0.607 ✓	0.607 ✓	-,-	-,-
-	-,-	इरसाद अली आ. किफायत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/5/2 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓	-,-	-,-
-	-,-		75/3/1 शा.न. 77 ✓	0.679 ✓	0.679 ✓	-,-	-,-
-	-,-		118 ✓	0.332 ✓	0.332 ✓	-,-	-,-
-	-,-		120/1 ✓	1.586 ✓	1.586 ✓	-,-	-,-
-	-,-	शमशाद अली आ. किफायत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/5/3 ✓	0.405 ✓	0.405 ✓	-,-	-,-
-	-,-	शोकत अली आ. अब्बास अली जाति मुसलमान पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	64/7 ✓	1.670 ✓	1.670 ✓	-,-	-,-
-	-,-		74/2 ✓	0.631 ✓	0.631 ✓	-,-	-,-
-	-,-		75/4 शा.न. 77 ✓	2.285 ✓	2.285 ✓	-,-	-,-
-	-,-		76 ✓	0.817 ✓	0.817 ✓	-,-	-,-
-	-,-		81 ✓	0.530 ✓	0.530 ✓	-,-	-,-
-	-,-		117 ✓	0.312 ✓	0.312 ✓	-,-	-,-
-	-,-		127/3 ✓	2.662 ✓	2.662 ✓	-,-	-,-
-	-,-	अनवार अली पुत्र न्याज अली जाति मुस. पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	64/8/1 ✓	1.821 ✓	1.821 ✓	-,-	-,-
-	-,-	कासान अली आ. अनवर अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम सा देह भूमि स्वामी	64/8/2 ✓	0.809 ✓	0.809 ✓	-,-	-,-
-	-,-	सलीम मो. आ. रईस मो. जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी	65 ✓	1.327 ✓	1.327 ✓	-,-	-,-
-	-,-		67/1/1 ✓	0.809 ✓	0.809 ✓	-,-	-,-
-	-,-	मुमताज मो. आ. रसीद मो. जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी	66 ✓	1.437 ✓	1.437 ✓	-,-	-,-
-	-,-		68/2 ✓	1.497 ✓	1.497 ✓	-,-	-,-
-	-,-	इमरान मो. नावा. आ. रईस मो. वली मां. अफसाना वी जाति मुसलमान	67/1/2 ✓	0.809 ✓	0.809 ✓	-,-	-,-

		पता निवासी ग्राम झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी	72/1	0.979	0.979	-,-	-,-
		वारिस मो. आ. रसीद मो. जाति	67/2	1.408	1.408	-,-	-,-
		मुसलमान पता निवासी ग्राम झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी	75/1 शा.न. 77	1.245	1.245	-,-	-,-
		इरसाद मो. आ. मुवारिक जाति	68/1	0.534	0.534	-,-	-,-
		मुसलमान पता निवासी झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी	69	0.376	0.376	-,-	-,-
		मुशरफ मो. आ. मुबारिक मो. जाति	70	1.011	1.011	-,-	-,-
		मुसलमान पता निवासी झिरिया ब.ग. भूमि स्वामी					
		वाहिद अली आ. न्याज अली जाति	74/4	0.631	0.631	-,-	-,-
		मुस. पता नि. सा. देह भूमि स्वामी					
		महफूज अली आ. न्याज अली जाति	75/2 शा.न. 77	1.850	1.850	-,-	-,-
		मुस. पता नि. सा. देह भूमि स्वामी					
		मुस्ताक अली आ. किफायत अली जाति	75/3/2 शा.न. 77	2.428	2.428	-,-	-,-
		मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी					
		शमशाद अली किफायत अली जाति	78	0.692	0.692	-,-	-,-
		मुसलमान पता नि.सा. देह भूमि स्वामी					
		आरिफ अली आ. शोक्त अली जाति	80/1	0.405	0.405	-,-	-,-
		मुस. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	119/1	1.146	1.146	-,-	-,-
		आशिक अली आ. अब्बास अली जाति	80/2	4.301	4.301	-,-	-,-
		मुस. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	83	0.729	0.729	-,-	-,-
			115/116	2.464	2.464	-,-	-,-
		धनसिंह आ. जालम जाति काछी पता	82	0.401	0.401	-,-	-,-
		नि.सा. देह भूमि स्वामी					
		सादिक अली आ. नवाब अली पता	84/1	0.101	0.101	-,-	-,-
		निवासी ग्राम झिरिया व गढी भूमि स्वामी					
		रामचरण राय आ. शरण कला बाई,	84/2/1	0.999	0.999	-,-	-,-
		हीराबाई पुत्र प्यार लाल जाति काछी	97/1/1	0.177	0.177	-,-	-,-
		पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98/2/1	0.457	0.457	-,-	-,-
		ग्याप्रसाद आ. हीरालाल जाति काछी	84/2/2	1.990	1.990	-,-	-,-
		पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	97/2	0.809	0.809	-,-	-,-
			98/1/2/1	0.049	0.049	-,-	-,-
		मुल्ली आ. हरीराम जाति काछी पता	84/2/3	0.993	0.993	-,-	-,-
		निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98/1/3	0.461	0.461	-,-	-,-
		गोपाल आ. हरकिशन जाति बरेठा	87/1/1/1	0.607	0.607	-,-	-,-

-,-	-,-	पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/9	0.405	0.405	-,-	-,-
-,-	-,-	रामप्रसाद आ. बंशी जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/2	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	प्रेम आ. अमान जाति चमार पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	87/1/1/3	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	मददा आ. बुद्धा जाति सौर पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/4	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	हरिसिंह आ. गुलाब जाति चमार पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/5	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	चन्द्रेश आ. प्यारा जाति बरेठा पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	87/1/1/6	1.214	1.214	-,-	-,-
-,-	-,-	पुन्ना आ. बुद्धा जाति सौर पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/7	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	कलू आ. हरकिशन जाति सौर पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार लगान	87/1/1/8	1.214	1.214	-,-	-,-
-,-	-,-	मुल्लाआ. नवल जाति काछी पता नि. कफरुआ भूमि स्वामी	88	1.352	1.352	-,-	-,-
-,-	-,-	अमान आ. वंसीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	92/1/1	2.023	2.023	-,-	-,-
-,-	-,-	चांदबी पत्नि वाहिद अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम सा देह भूमि स्वामी	92/3/1	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	मोहब्बत अली महफूज अनी वाहिद अली अनवार अली आ. न्याज अली हजरा बी वेबा न्याजअली आशिफ अली, किफायत अली शोकत अलीमोतीवी वेबा आव्वास अली जाति मुस. पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	92/2	2.189	2.189	-,-	-,-
-,-	-,-	महेश आ. जोखीराम जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम झिरिया ब.ग.भूमि स्वामी	92/4/1	0.405	0.405	-,-	-,-
-,-	-,-		94/2/2	0.161	0.161	-,-	-,-
-,-	-,-		93,94/1/2	1.404	1.404	-,-	-,-
-,-	-,-		108	0.615	0.615	-,-	-,-
-,-	-,-	बलराम आ. जोखीराम जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/4/2	0.473	0.473	-,-	-,-
-,-	-,-		92/4/3	2.117	2.117	-,-	-,-
-,-	-,-		94/1/2	0.55	0.55	-,-	-,-
-,-	-,-		100/2	0.312	0.312	-,-	-,-

			101	1.169	1.169	-,-	-,-
			104/105/2	0.138	0.138	-,-	-,-
		रामशंकर आ. जोखीराम जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/4/4	0.405	0.405	-,-	-,-
			94/2/1	1.271	1.271	-,-	-,-
			104/105/1	1.283	1.283	-,-	-,-
		गायत्री बाई, पुत्री, जोखीराम ब्रा.	92/4/5	0.708	0.708	-,-	-,-
		गायत्री बाई द्रोपति बाई उमाबाई, पुत्री जोखीराम	92/4/6	0.101	0.101	-,-	-,-
		रन्जीतसिंह सावित्रीबाई आ. सरदारसिंह जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	95	4.342	4.342	-,-	-,-
		तुलसीराम, बृजलाल, रिषीरात, राजेन्द्र सिंह, कुसूमबाई, लीलाबाई सरस्वती बाई, रामप्यारी, राजकुमारी आ. कच्छेदी, हि.50 पैसा रन्जीत सिंह सावित्री पुत्र सरदार 50 पैसा जाति लोधी पता निवासी ग्राम सा. देह भूमि स्वामी	96	1.368	1.368	-,-	-,-
			103	0.364	0.364	-,-	-,-
			125	2.902	2.902	-,-	-,-
			129	2.310	2.310	-,-	-,-
		शबीना बी पत्नि आबिद अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/1/2	0.405	0.405	-,-	-,-
			98/1/2/4	0.363	0.363	-,-	-,-
		परशोत्तम आ. सुखलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/2/2	0.405	0.405	-,-	-,-
		मुल्लोबाई पत्नि रन्जीतसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/3/1	0.405	0.405	-,-	-,-
		हरिचंद आ. जगन्नाथ जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/3/2	0.174	0.174	-,-	-,-
		केशरबाई पत्नि रामसेवक जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98/1/2/2	0.162	0.162	-,-	-,-
		प्रभाबाई पत्नि विश्वनाथ जाति तिवारी पता निवासी सा देह भूमि स्वामी	98/1/2/3	0.344	0.344	-,-	-,-
		विश्वनाथ आ. जोखीराम जाति ब्रा. पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी	99	2.108	2.108	-,-	-,-
			100/1	0.279	0.279	-,-	-,-
			104/105/3	1.329	1.329	-,-	-,-
		इस्माईल खां आ. अमीर खां पता निवासी ग्राम ककरूआ बा. भूमि स्वामी	102	0.624	0.624	-,-	-,-
			126	4.285	4.285	-,-	-,-

-	-	रिधीराज आ. कच्छेदी लाल जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	106/1/1 <sup>(5)</sup>	1.728	1.728	-	-
-	-	रामस्वरूप आ. सुन्दरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106/1/2	1.279	1.279	-	-
-	-	राजेन्द्र आ. कच्छेदी जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	106/1/3	1.174	1.174	-	-
-	-		107/2	0.546	0.546	-	-
-	-	सुन्दरलाल आ. लक्ष्मण जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	106/2	1.619	1.619	-	-
-	-	रामरतन आ. सुन्दरलाल जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	107/1	0.502	0.502	-	-
-	-	शारिक अली आ. मबारक अली जाति मुसलमान पता सा. देह ककरूआ वरा. गढी भूमि स्वामी	110/1	1.789	1.789	-	-
-	-		111/1/2	0.194	0.194	-	-
-	-	आविद अली आ. कुदरत अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2	0.607	0.607	-	-
-	-		112/2	0.623	0.623	-	-
-	-		110/3	0.429	0.429	-	-
-	-	वाहिद अली आ. कुदरत अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/4	0.421	0.421	-	-
-	-		113	0.340	0.340	-	-
-	-		114/2	0.464	0.464	-	-
-	-		123/2/2 शा.न. 124	0.433	0.433	-	-
-	-	आसिफ अली आ. मुबारक अली जाति मुसलमान पता सा. देह ककरूआ वरा. गढी भूमि स्वामी	111/1/1	1.983	1.983	-	-
-	-	मुबारक अली आ. युसुफ अली जाति मुसलमान पता सा. देह ककरूआ वरा. गढी भूमि स्वामी	111/1/2/3	0.121	0.121	-	-
-	-		114/1	0.466	0.466	-	-
-	-		123/1/2	0.474	0.474	-	-
-	-	राशिद अली आ. कुदरत अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/1	1.649	1.649	-	-
-	-	वारिसअलीआ. शोक्त अली जाति मुस. पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	119/2	1.452	1.452	-	-
-	-	जावेद अली आ. नबाव अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/2/1	0.605	0.605	-	-
-	-		120/2/2/2	0.594	0.594	-	-
-	-	भू-राजस्व	120/2/2/1	1.217	1.217	-	-
-	-	कमल सिंह आ. धनसिंह जाति चमार पता नि. सा. देह सेवा खातेदार	121	1.141	1.141	-	-

-	-	हरिसंह सुखचरन पप्पू रामकली जमनाबाई पिता गुलाब कासीबाई वेबा गुलाब जालम पूरन मिहीलाल पिता भीकम कमलसिंह जयसिंह पिता धनसिंह रघुवीर बाबू छोटे जानकीबाई पिता प्रीतम प्यारीबाई वेबा प्रीतम जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी	122	0.679	0.679	-	-
-	-	आरिफ अली आ. मुबारक अली जाति मुसलमान पता सा. देह ककरुआ वरा. बढी भूमि स्वामी	123/1/1 शा.न. 124	1.983	1.983	-	-
-	-	साजिद अली आ. कुदरत अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/2/1 शा.न. 124	2.023	2.023	-	-
-	-	सकीना बेगम वेबा किफायत अली असगरी बेगम अनीसा बेगम रूबीना बेगम पिता किफायत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/1	2.662	2.662	-	-
-	-	जाहिद अली आ. आशिक अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्रं. सा. देह भूमि स्वामी	127/2/1	1.456	1.456	-	-
-	-	शोयव अली आ. शौकत अली जाति पठान पता निवासी भूमि स्वामी	127/2/2	1.214	1.214	-	-
-	-	रवीशंकरआ. जगन्नाथ प्रसाद जाति ब्रा. पता नि.सा. परासरी कलां जि. सागर भूमि स्वामी	130	0.227	0.227	-	-
-	-	सनमान सिंह अमर सिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131	1.675	1.675	-	-
-	-	असलम खां आ. अमीर खां जाति मुस. पता नि. सा. कखरुआ भूमि स्वामी	134/1/2	2.023	2.023	-	-
-	-	आकिल खां आ. अमीर खां जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134/1/3	2.023	2.023	-	-
-	-	आकिल खां आ. अमीर खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम कखरुआ ब.ग. भूमि स्वामी	134/1/4	0.567	0.567	-	-
-	-	जाहरसिंह आ. ऋषिराज जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	134/1/5/1/1/ 1	1.542	1.542	-	-
-	-	गजराज सिंह आ. ऋषिराज जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	134/1/5/1/1/ 2	1.538	1.538	-	-

-,-	-,-	चन्द्रेश कुमार आ. राजेन्द्रसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	134/1/5/1/2/ <sup>(7)</sup> 3	1.538	1.538	-,-	-,-
-,-	-,-	लाल साहब आ. राजेन्द्रसिंह जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	134/1/5/1/2/4	1.538	1.538	-,-	-,-
-,-	-,-	नन्दलाल आ. भगोनी जाति लोधी पता नि. सा. खजूरिया भूमि स्वामी	134/1/5/2	1.619	1.619	-,-	-,-
-,-	-,-	हरीसिंह सुखचरण पप्पू गुलाब, घसीटीबाई, वेबा गुलाब जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134/2/1	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	शहनाज बेगम पत्नि आकिल खां जाति पठान पता ककरूआ भूमि स्वामी	134/2/2	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	श्रीराम आ. लक्ष्मण जाति लोधी पता नि. सा. देह भूमि स्वामी	138/110	1.457	1.457	-,-	-,-
		योग:-	143	152.751	152.751		

बेरखेडी बरामद गढी	बेगमगंज / रायसेन	सुखलाल आ. नंदराम जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	12/1	1.672	1.672	-,-	-,-
-,-	-,-	तुलसीराम आ. हरगोविन्द्र जाति कुर्मी पता सा मडदेवरा भूमि स्वामी	12/2	1.307	1.307	-,-	-,-
-,-	-,-	प्रदीपकुमार आ. फूलचंद जाति ब्राम्हण पता सा. बेगमगंज भूमि स्वामी	13	0.291	0.291	-,-	-,-
-,-	-,-		14	0.198	0.198	-,-	-,-
-,-	-,-		15	0.923	0.923	-,-	-,-
-,-	-,-		16/2	3.003	3.003	-,-	-,-
-,-	-,-	कुंजविहारी पुत्र भवूतसिंह जाति कुर्मी पता सा मडदेवरा भूमि स्वामी	16/1	3.439	3.439	-,-	-,-
-,-	-,-	सुरेन्द्रसिंह आ. गनपत सिंह जाति गूजर पता सा पीलपहाडी भूमि स्वामी	17/1	2.356	2.356	-,-	-,-
-,-	-,-	महेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति कुर्मी पता सा मडदेवरा भूमि स्वामी	17/2/1	1.161	1.161	-,-	-,-
-,-	-,-	सुदामा बाई पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/2/2	1.267	1.267	-,-	-,-
-,-	-,-	रामलाल आ. नंदराम जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	20/1	0.736	0.736	-,-	-,-



-,-	-,-	तुलसीराम चुन्नीलाल धनसिंह पुत्र	20/2	0.736	0.736	-,-	-,-
-,-	-,-	हरगोविन्द जाति कुर्मी पता सा	21	2.995	2.995	-,-	-,-
-,-	-,-	मडदेवरा भूमि स्वामी	22/1	2.833	2.833	-,-	-,-
-,-	-,-	विनोदकुमार आ. फूलचंद जाति	22/2	3.893	3.893	-,-	-,-
-,-	-,-	ब्राह्मण पता सा बेगमगंज बराबर भाग	23	0.611	0.611	-,-	-,-
-,-	-,-	भूमि स्वामी	38	0.085	0.085	-,-	-,-
-,-	-,-		39	0.854	0.854	-,-	-,-
-,-	-,-	अनसूल कुमार आ. विनोद कुमार	24	1.372	1.372	-,-	-,-
-,-	-,-	जाति ब्रा. पता बेगमगंज भूमि स्वामी	25	0.085	0.085	-,-	-,-
-,-	-,-		26	0.093	0.093	-,-	-,-
-,-	-,-		27	0.182	0.182	-,-	-,-
-,-	-,-		28	0.045	0.045	-,-	-,-
-,-	-,-	दीकप कुमार आ. विनोद कुमार जाति	29/1	0.530	0.530	-,-	-,-
-,-	-,-	ब्रा. पता सा देह भूमि स्वामी	30/1	1.283	1.283	-,-	-,-
-,-	-,-		33/1	0.409	0.409	-,-	-,-
-,-	-,-		34	0.134	0.134	-,-	-,-
-,-	-,-		35	0.773	0.773	-,-	-,-
-,-	-,-		36	0.129	0.129	-,-	-,-
-,-	-,-		37	0.741	0.741	-,-	-,-
-,-	-,-	चादमिया पुत्र फैजन्द मो. दिलावर खां	31/1	0.809	0.809	-,-	-,-
-,-	-,-	जाति मुसलमान पता बेगमगंज भूमि	31/2	1.781	1.781	-,-	-,-
-,-	-,-	स्वामी	32	0.227	0.227	-,-	-,-
-,-	-,-		205/1	0.157	0.157	-,-	-,-
-,-	-,-		205/2	0.297	0.297	-,-	-,-
-,-	-,-		266/205/1	0.518	0.518	-,-	-,-
-,-	-,-		266/205/2	0.817	0.817	-,-	-,-
-,-	-,-	रामकुअर वाई पत्नि दरोई (दयाराम)*	41/1/1	1.821	1.821	-,-	-,-
-,-	-,-	जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी					
-,-	-,-	बालमुकन्द आ. परमा जाति चमार	41/1/2	1.821	1.821	-,-	-,-
-,-	-,-	पात सा देह भूमि स्वामी					
-,-	-,-	इमरतबाई पत्नि चरनसिंह जाति चमार	41/2/1	0.512	0.512	-,-	-,-
-,-	-,-	पता सा देह भूमि स्वामी					
-,-	-,-	पल्लवी आ. मुकंद जाति चमार पता	41/2/2	3.000	3.000	-,-	-,-
-,-	-,-	सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/1/4	0.300	0.300	-,-	-,-
-,-	-,-	धन्नालाल आ. बालमुकन्द हि. 3.16	43/1/1	0.364	0.364	-,-	-,-
-,-	-,-	एकड गोविन्द रूपसिंह बालिग जाहर					
-,-	-,-	सिंह ना वा आ. किशोरी लक्ष्मीबाई	50/2	1.077	1.077	-,-	-,-
-,-	-,-	बेवा किशोरी हि. 0.43 एकड जाति					
-,-	-,-	लोधी पता सा देह भूमि स्वामी					
-,-	-,-	शंकरलाल आ. कच्छेदी जाति साहू	43/1/2	0.405	0.405	-,-	-,-
-,-	-,-	पता सा देह भूमि स्वामी	45/2	0.405	0.405	-,-	-,-

		रोहताश, बाबू दीपक, आ. जे.पी.पटेल जाति कुर्मी पता सा फतेहपुर भूमि स्वामी	43/2	1.214	1.214			
		रामबाबू आ. शंकरलाल जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	44	0.429	0.429			
			45/1/2	0.405	0.405			
				46/2	0.040	0.040		
		गोविन्द्र रूपसिंह, बालिगजाहर सिंह ना वा आ. किशोरी लक्ष्मीबाई, बेवा किशोरी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45/1/1	1.080	1.080			
				46/1	0.316	0.316		
		धन्नालाल लोधी पुत्र बालमुकन्द जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	47	0.522	0.522			
				48	3.025	3.025		
				57	0.227	0.227		
		गोविन्द्र रूपसिंह, बालिगजाहर सिंह ना वा पुत्री किशोरी लक्ष्मीबाई बेवा किशोरी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49	0.121	0.121			
		निर्मयसिंह पुत्र धन्नालाल जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	50/1	1.011	1.011			
		कोमलसिंह पुत्र हल्कू जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	58/1	0.101	0.101			
				59/3	0.356	0.356		
		ओकारसिंह पुत्र रामप्रसाद ट जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	58/2	0.324	0.324			
				59/2	0.267	0.267		
				60/1	0.040	0.040		
		लीलाधर पुत्र करनसिंह जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	58/3	0.304	0.304			
				59/1	0.081	0.081		
				59/4	0.073	0.073		
				60/2	0.174	0.174		
		नरेश आ. शंकरलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	61/1	0.239	0.239			
				62/1/1	0.287	0.287		
				264/61/1	0.405	0.405		
		भबूतसिंह आ. भैयालाल जाति कुर्मी पता सा देह भूमि स्वामी	62/2	0.210	0.210			
				63	0.117	0.117		
				64/1, 67	0.450	0.450		
				69/2	0.045	0.045		
				71/2	0.478	0.478		
		शिवप्रसाद सूरतसिंह प्रहलादसिंह आ. बाबूलाल जाति काछी सा देह भूमि स्वामी	64/2, 67	0.607	0.607			
				65	0.057	0.057		
				66	0.182	0.182		
				68	0.065	0.065		
				69/1	0.121	0.121		
				71/1	0.299	0.299		
			73/3/1	0.405	0.405			

			73/3/3/4	0.020	0.020	-	-
		भरोसा पुत्र परमा जाति काछी पता	73/1	0.238	0.238	-	-
		सा देह भूमि स्वामी	73/2	0.344	0.344	-	-
			73/3/3/1	1.279	1.279	-	-
		जालम आ. नंदा जाति काछी सा देह	73/3/2	0.405	0.405	-	-
		भूमि स्वामी					
		गोपाल आ. गनपत जाति काछी पता	73/3/3/2	0.020	0.020	-	-
		सा देह भूमि स्वामी					
		रामप्रसाद आ. गुलठाई जाति सोर	73/3/3/3	0.032	0.032	-	-
		पता सा देह भूमि स्वामी					
		डां प्रभूराम चौधरी पुत्र बालमुकुन्द	75	0.239	0.239	-	-
		जाति चौधरी पता सा देह भूमि स्वामी	76/1	0.907	0.907	-	-
			77/2	1.076	1.076	-	-
			77/4	0.757	0.757	-	-
			78/2	0.190	0.190	-	-
			83/2/1	1.611	1.611	-	-
			89	0.704	0.704	-	-
		अब्दुल मतीन खान आ.अ. हफीज	76/2	0.906	0.906	-	-
		खान सा. भोपाल	77/1	0.891	0.891	-	-
			77/3	0.938	0.938	-	-
			78/1	0.186	0.186	-	-
		नारायणप्रसाद आ. ग्याप्रसाद जाति ब्रा.	83/1	2.428	2.428	-	-
		पता सा मडिया भूमि स्वामी					
		बालमुकुन्द पुत्र परमा जाति चमार	83/2/2	1.214	1.214	-	-
		पता सा देह भूमि स्वामी					
		मदनलाल पुत्र गुलाबचंद जाति नेमा	87/1	1.080	1.080	-	-
		पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी					
		केदार कुमार आ. गुलाबचंद जाति	87/2	1.080	1.080	-	-
		नेमा पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी					
		सुरेशचंद पुत्र गुलाबचंद जाति नेमा	87/3	0.624	0.624	-	-
		पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	99/2	0.129	0.129	-	-
			100/2	0.320	0.320	-	-
		नारायणप्रसाद आ. गुलाबचंद जाति	87/4/1	1.522	1.522	-	-
		नेमा पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	87/4/2/1/1	0.405	0.405	-	-
			87/4/2/1/2	0.417	0.417	-	-
			99/1/1	0.065	0.065	-	-
			100/1/1	0.032	0.032	-	-
		श्री चंद पुत्री गुलाबचंद जाति नेमा	87/4/2/2	0.272	0.272	-	-
		पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	88	0.178	0.178	-	-
		बल्लू पुत्र रामलाल जाति चमार पता	90	1.044	1.044	-	-
		सा देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर	92	0.150	0.150	-	-

			209/1	3.035	3.035	-,-	-,-
		हिम्मतसिंह पुत्र भवरलाल गूजर पता सा पीलपहाडी भूमि स्वामी	93	0.190	0.190	-,-	-,-
			95	0.343	0.343	-,-	-,-
			96	0.627	0.627	-,-	-,-
			97	0.397	0.397	-,-	-,-
			98	0.178	0.178	-,-	-,-
			99/1/2	0.158	0.158	-,-	-,-
			100/1/2	0.093	0.093	-,-	-,-
		विष्णुप्रसाद आ. गनपत जाति गूजर पता सा पीलपहाडी भूमि स्वामी	101/1	0.174	0.174	-,-	-,-
		महेश आ. गनपत जाति गूजर पता निवासी ग्राम पीलपहाडी भूमि स्वामी	101/2	0.178	0.178	-,-	-,-
		जशोदाबाई बेवा दयाराम हरिशंकर अभयराम पुत्र दयाराम जाति गूजर पता सा पीलपहाडी भूमि स्वामी	103	1.165	1.165	-,-	-,-
			104	0.405	0.405	-,-	-,-
			105	0.837	0.837	-,-	-,-
		पन्नालाल पुत्र नंदराम जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	108/1	0.174	0.174	-,-	-,-
			109/1	0.344	0.344	-,-	-,-
		मोहनलाल आ. लालचंद पत्नि नजमूल हसन जाति पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	108/2	0.381	0.381	-,-	-,-
			109/2	0.809	0.809	-,-	-,-
		लालाराम आ. मानसिंह जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	118/1	0.227	0.227	-,-	-,-
			128/2	0.332	0.332	-,-	-,-
		पूरनसिंह मानसिंह जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	118/2	0.506	0.506	-,-	-,-
			121	0.182	0.182	-,-	-,-
			128/1	1.076	1.076	-,-	-,-
		शालकराम उर्फ महेश कुमार पुत्र गुलाबचंद जाति नेमा पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	119	0.223	0.223	-,-	-,-
			120	0.097	0.097	-,-	-,-
			123	0.198	0.198	-,-	-,-
			124	0.113	0.113	-,-	-,-
			125	0.518	0.518	-,-	-,-
			126	0.036	0.036	-,-	-,-
			127	0.53	0.53	-,-	-,-
		सफदर बेग आ. मिर्जा सईद बेग जाति मिर्जा पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	184/1/1	0.333	0.333	-,-	-,-
			185/1/1	0.276	0.276	-,-	-,-
			199/2/1	0.441	0.441	-,-	-,-
			265/184/2/1	0.482	0.482	-,-	-,-
		सोहेल बेग आ. मिर्जा सईद बेग जाति	184/1/2	0.336	0.336	-,-	-,-

-	-	मिर्जा पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	185/1/2	0.275	0.275	-	-
-	-		199/2/2	0.441	0.441	-	-
-	-		265/184/2/2	0.477	0.477	-	-
-	-	शेक जाहिद पुत्र अहमद हसन जाति कुरैशी पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	184/2	0.121	0.121	-	-
-	-		185/2	0.364	0.364	-	-
-	-		199/3	0.121	0.121	-	-
-	-	मो. शरीक खां पुत्र मुनीरखां जाति मुस. पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	184/3	0.263	0.263	-	-
-	-		185/5	0.425	0.425	-	-
-	-		199/4	0.445	0.445	-	-
-	-	सददकी खां आ. शेख रमजान जाति मुस. पता सा देह भूमि स्वामी	184/4	0.081	0.081	-	-
-	-	रतिबाई पत्नि शंकरलाल जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	185/3/1	0.611	0.611	-	-
-	-		192	0.494	0.494	-	-
-	-		265/184/1/3/1	0.257	0.257	-	-
-	-	अनरथ आ. गनपत जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	185/3/2	0.020	0.020	-	-
-	-		188/2	1.441	1.441	-	-
-	-	मो. सईद मो. फरीद आ. सिद्दकी खां जाति मुसलमान पता सा भोपाल भूमि स्वामी	185/4	1.234	1.234	-	-
-	-	शंकरलाल पुत्र गनपत जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	188/1	0.081	0.081	-	-
-	-		191	0.089	0.089	-	-
-	-	निसार खां आ. जफर खां जाति मुसलमान पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	195	0.421	0.421	-	-
-	-		196	0.555	0.555	-	-
-	-	निसार आ. जफर खां हि. 1/2 आमिर खां ना वा फराव खां ना वा फराज खां ना वा आ. इरसाद खां सर मां अकीला वी अकीलावी बेवा इरसाद खां हि. 1/2 समान भाग जाति मुसलमान पता बेगमगंज भूमि स्वामी	197/1	0.279	0.279	-	-
-	-		198/1/1	0.133	0.133	-	-
-	-		198/2/1	1.218	1.218	-	-
-	-		265/184/1/1	0.323	0.323	-	-
-	-	नबाव हमात खां जाति बेन पता सा देह भूमि स्वामी	197/2/1	0.065	0.065	-	-
-	-		197/3	0.109	0.109	-	-
-	-		198/1/2/1	0.016	0.016	-	-

			198/1/3	0.299	0.299	-,-	-,-
			198/1/4/1	0.405	0.405	-,-	-,-
		बल्दार खां पुत्र हयात खां जाति बेना पता सा देह भूमि स्वामी	197/2/2	0.069	0.069	-,-	-,-
			198/1/2/2	0.020	0.020	-,-	-,-
			199/1/1	0.737	0.737	-,-	-,-
			207/2	0.166	0.166	-,-	-,-
			208/2	0.745	0.745	-,-	-,-
		जायदा वी बेवा जरदार खां सामिद मंसूर ना वा आ. जरदार खां राजदानी कल्ली बी शहनाजवी शानु वी ना वा पुत्री जरदार खां वली मां स्वयं जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	197/2/3	0.061	0.061	-,-	-,-
			198/1/2/3	0.020	0.020	-,-	-,-
			198/1/4/3	0.197	0.197	-,-	-,-
			199/1/3	0.490	0.490	-,-	-,-
		दिलदार आ. हयात खां जाति वेहना पता सा देह भूमि स्वामी	197/2/4	0.061	0.061	-,-	-,-
			198/1/2/4	0.020	0.020	-,-	-,-
			198/1/4/2	0.595	0.595	-,-	-,-
		सदार खां आ हयात खां जाति वेहना पता सा देह भूमि स्वामी	197/2/5	0.061	0.061	-,-	-,-
			199/1/2/1	0.607	0.607	-,-	-,-
		जरदार खां आ. हयात खां जाति बेना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	198/1/2/5	0.200	0.200	-,-	-,-
		भू-राजस्व	198/2/2	0.238	0.238	-,-	-,-
		अजय कुमसा आ. भागचंद जाति जैन पता सा देह भूमि स्वामी	199/1/2/2	0.121	0.121	-,-	-,-
		रमेश आ. रेवाराम जाति बसोड पता सा देह भूमि स्वामी	201/2	1.000	1.000	-,-	-,-
		इमरत आ. धनीराम जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	201/3	1.000	1.000	-,-	-,-
		रामप्रसाद आ. रेवाराम जाति सौर पता सा देह भूमि स्वामी	201/4	1.000	1.000	-,-	-,-
		हरीसिंह आ. हीरालाल जाति चमार पता सादेह शासकीय पट्टेदार	201/5	1.000	1.000	-,-	-,-
		रतिराम पुत्र अर्जुन जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	201/6	1.000	1.000	-,-	-,-
		लक्ष्मन आ. बुट्टा जाति बसोड पता सादेह भूमि स्वामी	201/7	1.000	1.000	-,-	-,-
		कलीबाई जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	203/1/1	1.619	1.619	-,-	-,-

..-	..-	मथरावाई पुत्री खिलान जाति कोली पता सा.देह भूमि स्वामी	203/1/2 - (24)	1.619 -	1.619	..-	..-
..-	..-	प्रीतम राज पुत्र परमलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम कोकलपुर भूमि स्वामी	203/1/3 -	1.619 -	1.619	..-	..-
..-	..-	बाबूलाल पुत्र खेमचन्द जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	203/1/4 -	0.729 -	0.729	..-	..-
..-	..-	अमनोवाई वेवा सुकलालद्रोपतीवाई हरीवाई सकुनवाई नि.वा. पुत्रीसुकलाल संर मां.स्वयं जाति चमार भूमि स्वामी	203/1/5 -	0.729 -	0.729	..-	..-
..-	..-	प्रेमवाई पुत्री रामचन्द जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी	203/1/6 -	0.728 -	0.728	..-	..-
..-	..-	रतिराम आ. रधवर जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	203/1/7 -	0.728 -	0.728	..-	..-
..-	..-		233/9 -	1.000 -	1.000	..-	..-
..-	..-	प्यारेलाल दसरई जाति चमार पता सा.देह भूमि स्वामी अहस्तातरणीय	203/1/8 -	0.728 -	0.728	..-	..-
..-	..-	चरोखर निस्तार म.प्र. शासन	203/2 -	0.809 -	0.809	..-	..-
..-	..-	धनसिंह आ. रामप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/1 -	0.741 -	0.741	..-	..-
..-	..-		208/1 -	1.214 -	1.214	..-	..-
..-	..-	शाहिद अली आ. रहमान खां जाति मसूरी पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	207/3 -	0.303 -	0.303	..-	..-
..-	..-		208/3 -	0.708 -	0.708	..-	..-
..-	..-	रामेश्वर आ. पन्नालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/4/1 -	0.348 -	0.348	..-	..-
..-	..-		208/4/1 -	0.583 -	0.583	..-	..-
..-	..-	किशनसिंह आ. पन्नालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/4/2 -	0.348 -	0.348	..-	..-
..-	..-		208/4/2 -	0.583 -	0.583	..-	..-
..-	..-		208/5 -	0.065 -	0.065	..-	..-
..-	..-		217 -	0.053 -	0.053	..-	..-
..-	..-	गोकल पुत्र मोतीलाल जाति चमार पता सा सुमेर भूमि स्वामी	209/2 -	0.640 -	0.640	..-	..-
..-	..-		211 -	2.213 -	2.213	..-	..-
..-	..-	मुस्ताफ अली आ. हैदर अली जाति फकीर पता सा देह भूमि स्वामी	212 -	0.308 -	0.308	..-	..-
..-	..-		223/4 -	0.767 -	0.767	..-	..-
..-	..-		214 -	0.053 -	0.053	..-	..-
..-	..-		215 -	0.093 -	0.093	..-	..-

"	"		216	0.089	0.089	"	"
"	"		218	0.785	0.785	"	"
"	"		219/2	0.057	0.057	"	"
"	"		258/219	0.283	0.283	"	"
"	"		229/1	1.574	1.574	"	"
"	"	धनसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति साहू पता सा देह भूमि स्वामी	213/1	0.344	0.344	"	"
"	"		247/213	0.736	0.736	"	"
"	"	लक्ष्मीनारायण आ. धनसिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/2	0.113	0.113	"	"
"	"		227/1/1	0.512	0.512	"	"
"	"		228/1	0.589	0.589	"	"
"	"	जगदीश आ. धनसिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/3	0.113	0.113	"	"
"	"		227/1/2	0.512	0.512	"	"
"	"		228/2	0.589	0.589	"	"
"	"	वीरसिंह आ. धनसिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/4	0.113	0.113	"	"
"	"		227/1/3	0.512	0.512	"	"
"	"		228/3	0.589	0.589	"	"
"	"	राम आ. धनसिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	213/5	0.115	0.115	"	"
"	"		227/1/4	0.512	0.512	"	"
"	"		228/4	0.588	0.588	"	"
"	"	इरसाद अली आ. जब्बार खां जाति फकीर पता सा सुमेर भूमि स्वामी	219/1	0.809	0.809	"	"
"	"		223/3	0.287	0.287	"	"
"	"		225	0.295	0.295	"	"
"	"		226/1	0.252	0.252	"	"
"	"	शेखशरीफ पुत्र शेखकरीम जाति मुस. पता सा.वेगमगंज भूमि स्वामी	220/1	0.324	0.324	"	"
"	"		259/220	0.129	0.129	"	"
"	"		221/5	1.214	1.214	"	"
"	"		222/5	2.242	2.242	"	"
"	"	सुरेन्द्र कुमार आ. भगवान दास जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2/1	0.162	0.162	"	"
"	"		221/4/1	0.283	0.283	"	"
"	"		222/4/1	0.365	0.365	"	"
"	"	मुन्नालाल पुत्र सरदारसिंह जाति साहू	220/2/2/1	0.425	0.425	"	"



		पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/4/2/1	0.748	0.748	-,-	-,-
			222/4/2/1	0.713	0.713	-,-	-,-
		श्री मति शाहीन वी पत्नि सरताज	220/2/2/2	0.202	0.202	-,-	-,-
		अली जाति फकीर पता सा सुमेर	221/4/2/2	0.242	0.242	-,-	-,-
		भूमि स्वामी	222/4/2/2	0.365	0.365	-,-	-,-
		रेहान आ.हाजी आ. रजाक जाति पता	220/2/3	0.061	0.061	-,-	-,-
		सा बेगमगंज भूमि स्वामी					
		नजमुल हसन आ० मकबूल हसन	220/3/1	0.445	0.445	-,-	-,-
		जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम	221/3/1	0.486	0.486	-,-	-,-
		भूमि स्वामी	222/3/1/1	0.280	0.280	-,-	-,-
		पुष्पेन्द्र कुमार आ. भगवानदास जाति	220/3/2	0.647	0.647	-,-	-,-
		साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/3/2	0.323	0.323	-,-	-,-
			222/3/2	1.053	1.053	-,-	-,-
		भगवानदास आ.सरदारसिंह जाति	220/4	1.011	1.011	-,-	-,-
		साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/2	0.890	0.890	-,-	-,-
			222/2	2.012	2.012	-,-	-,-
		भगवानदास हरीशंकर मुन्नलाल	220/5	1.271	1.271	-,-	-,-
		लखनलाल पुत्रगण सरदारसिंह	221/1	1.987	1.987	-,-	-,-
		द्रोपतीबाई कस्तूरी बाई आरतीबाई	222/1	0.656	0.656	-,-	-,-
		सावित्रीबाई पुत्रीयाँ सरदारसिंह					
		भागबाई बेवा सरदार सिंह हि० बराबर					
		पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी					
		रेहान आ. रज्जाक मो. जाति	221/4/3	0.141	0.141	-,-	-,-
		मुसलमान पता सा बेगमगंज भूमि					
		स्वामी					
		साजिद वी पत्नि मकबूलहसन जाति	222/3/1/2	0.676	0.676	-,-	-,-
		मुसलमान पता सा बेगमगंज भूमि					
		स्वामी					
		मो. रहमान आ. रज्जाक मो. जा.	222/4/3	0.202	0.202	-,-	-,-
		मुस्लिम पता निवासी ग्राम बेगमगंज					
		भूमि स्वामी					

	-,-	जावेद अली माजिद अली, साजिद आ. जामिन अली, विसिमिल्ला बी बेवा जामिन अली जाति मुसलमान पता बेगमगंज भूमि स्वामी	223/1 <sup>(21)</sup>	1.235	1.235	-,-	-,-
	-,-	यूनूस अली सुलेमान याकूब लालमिया अन्सार रफीक पुत्र शबिर अली बियानी राबिया बी शाहबानो बी पुत्री शबिर अली हसीना बी बेवा शबिर अली जाति फकीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2	0.410	0.410	-,-	-,-
	-,-		226/2	1.230	1.230	-,-	-,-
	-,-	सरताज अली ना वा आ. जब्बार अली सेर मां अरका बेगम जाति गूजर पता सा भूमि स्वामी	223/5	0.020	0.020	-,-	-,-
	-,-		224/1	0.405	0.405	-,-	-,-
	-,-		224/2	0.388	0.388	-,-	-,-
	-,-	मुन्नीवी पत्नि मो. शरीफ जाति बेन पता सा देह भूमि स्वामी	227/2	0.080	0.080	-,-	-,-
	-,-		230/1/1	0.324	0.324	-,-	-,-
	-,-	मो. शरीफ पुत्र शेख सरदार जाति मंसूरी पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	229/2	0.809	0.809	-,-	-,-
	-,-	मुन्नीवी पत्नि मो. शरीफ जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	229/3	0.405	0.405	-,-	-,-
	-,-	हबीब अली आ. हाजी मुस्तक अली जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	230/1/2	0.202	0.202	-,-	-,-
	-,-	मो. अजहर मो. जफर मो. अबबार मो. आरि. फ आमजहर आ. मजहर जाति मंसूरी पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	230/2	0.255	0.255	-,-	-,-
	-,-		231	1.769	1.769	-,-	-,-
	-,-	चांदमियां आ. फैयाजमो व शहिदा परवीन पत्नि चांदमियां जाति पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	232	1.779	1.779	-,-	-,-
	-,-		234	0.656	0.656	-,-	-,-
	-,-	परपोत्तम आ० हरीराम जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	233/1/1	0.988	0.988	-,-	-,-
	-,-	शिवालाल आ. हल्केभाई जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/1/2	0.600	0.600	-,-	-,-
	-,-	रेवाराम आ. हल्लकई जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/1/3	0.600	0.600	-,-	-,-

-,-	-,-	राजाबाई आ. दरयाव जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	233/1/5 <sup>(28)</sup>	0.520	0.520	-,-	-,-
-,-	-,-	उधम सिंह आ. जमना जाति सोर पता सा देह भूमि स्वामी	233/2	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	दरई आ मुल्ला जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/3	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	हल्केई आ . गोरेलाल जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/4	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	जमना आ. हल्के जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	233/5	0.486	0.486	-,-	-,-
-,-	-,-	आशु ना. वा. प्रियंका ना.वा. निरपत सर मां सविता बाई बेबा निरपत जाति चमार भूमि स्वामी	233/6	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	श्यामलाल आ. रेवाराम जाति बसोड जाति बसोड पता सा देह भूमि स्वामी	233/7	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-		238/1/1/1	0.121	0.121	-,-	-,-
-,-	-,-	गुडडी बाई पत्नि हरलाल जाति चमार पता बेगमगंज भूमि स्वामी	233/8/1	0.04	0.04	-,-	-,-
-,-	-,-		238/1/1/2	0.365	0.365	-,-	-,-
-,-	-,-	हरलाल आ० रेवा जाति बसोड भूमि स्वामी	233/8/2	1.174	1.174	-,-	-,-
-,-	-,-	मोतीबाई,भारती बाई एरोहितकुमार ना.वा. सर मां तुलसा बाई बेबा मन्नु जाति सोर पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	233/10	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	शाति बाई बेबा बाबूलाल जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	235	0.530	0.530	-,-	-,-
-,-	-,-		237/2	3.767	3.767	-,-	-,-
-,-	-,-		243	0.506	0.506	-,-	-,-
-,-	-,-	खूबचंदआ. कन्हैया लाल जाति कुर्मी पता सा देह भूमि स्वामी	237/1	0.809	0.809	-,-	-,-
-,-	-,-		242	1.627	1.627	-,-	-,-
-,-	-,-	इमरत आ. रेवा जाति बसोड पता सा.देह भूमि स्वामी	238/1/1/3	0.121	0.121	-,-	-,-

-,-	-,-	अमनोवाई वेवारामप्रसाद पप्पू ना.वा. पुत्र पहाड़ी क्रातीवाईना.वा पुत्री पहाड़ी जाति - बुलावाई वेवा पहाड़ीसंर. मां: स्वयं जाति सौर पता सा.देह भूमि स्वामी	238/1/3 <sup>(29)</sup>	0.607	0.607	-,-	-,-
-,-	-,-	चरोखर निस्तार म.प्र. शासन	238/2/1	2.642	2.642	-,-	-,-
-,-	-,-	शिबू आ. रेवाराम जाति बसौड पता सा देह भूमि स्वामी	238/2/2	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	राधे आ. नौनीत जाति सौर पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	238/2/3	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	करन सिंह आ. रामप्रसाद जाति सौर पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	238/2/4	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	अमर सिंह आ. रामप्रसाद जाति सौर पता सा देह भूमि स्वामी	238/2/5	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	धन्नु आ. हरगोविन्द पता सा देह भूमि स्वामी	238/2/6	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	रमेश आ. दशरई जाति चमार पता सा देह भूमि स्वामी	238/2/7	1.000	1.000	-,-	-,-
-,-	-,-	खेमचंद आ. खुमान जाति . पता सा देह भूमि स्वामी	238/2/8	1.000	1.000	-,-	-,-

-,-	-,-	जगन आ. भिगोराम जाति चमार जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	238/2/9 ✓	1.000 ✓	1.000 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	मिहू आ. परताप जाति चमार पता सा देह अहस्तातरण भाग भूमि स्वामी	238/2/10 ✓	1.000 ✓	1.000 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	मो. मुश्ताक एमो.शमशाह वालिग मो. नसीर एमो. मुमताज एमो.नियज एमो. सहजाद एमो. सलमानए नावा. पुत्र मो. असफाक जाति मुसलमान पता बेगमगंज भूमि स्वामी	240/1/1 ✓	0.162 ✓	0.162 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-		241/1/1 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓	-,-	-,-

-,-	-,-	श्रीमति नीरा चौधरी पत्नि प्रभुराम जाति चौधरी पता सा देह भूमि स्वामी	240/1/2 ✓	1.149 ✓	1.149 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-		241/1/2 ✓	0.377 ✓	0.377 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	मो.हनीफ आ. कालेखां जाति मंसूरी पता सा बेगमगंज भूमि स्वामी	240/2/1 ✓	0.709 ✓	0.709 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-		241/2/1 ✓	0.910 ✓	0.910 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	राजकुमार आ० खूबचन्द जाति कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	240/2/2 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-		241/2/2 ✓	0.304 ✓	0.304 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	सलमा वी पुत्री जफर मो. जाति पता निवासी ग्राम काजी मो. बेगमगंज भूमि स्वामी	265/184/1/2 ✓	0.607 ✓	0.607 ✓	-,-	-,-
-,-	-,-	सलमा बी पुत्री जफर मो. जाति मुस्लिम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	265/184/1/3/2 ✓	0.202 ✓	0.202 ✓	-,-	-,-

नोट - भूमि का नकशा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक /०7/अ-82/17-18 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 05 में वर्णित भूमि के खाने 07 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक एक सन् 2013) की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राजस्व शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण।  
 (क) - जिला रायसेन।  
 (ख) - तहसील /तालुका बेगमगंज।  
 (ग) - ग्राम ककरूआ बरामद गढी।

- :: अनुसूची :: -

- :: भूमि का विवरण :: -

ग्राम का नाम	तहसील / जिला	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06	07	08
ककरूआ बरामद गढी	बेगमगंज / रायसेन	इसमाईल खां आ. अमीर खां जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	2/1	1.983	1.983	कार्यपालन यंत्री बीना परियोजना जल संसाधन संभाग राहतगढ	मडिया बाँध निर्माण हेतु
			2/3/1	0.060	0.060	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	आरिफ अली ,आशिफ अली ,शारिक अली आ.मुबारिक अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/2	4.266	4.266	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	इब्राहिम खां आ. अमीर खां जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/3/2	0.260	0.260	--,"--	--,"--
			3	1.011	1.011	--,"--	--,"--
			5	0.947	0.947	--,"--	--,"--
			59/3	0.809	0.809	--,"--	--,"--
			80/2/1 /2	0.809	0.809	--,"--	--,"--

/	---	नाजिम खान नदीन खान जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4	1.983	1.983	---	---	
			6/1	1.208	1.208	---	---	
			68	0.332	0.332	---	---	
			83	1.113	1.113	---	---	
/	---	---	मुल्ला आ नबल जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6/2	0.976	0.976	---	---
/	---	मिहीलाल पूरन आ. भीकम गुलाब अन्नदीआ. जालम कमलसिंह जयसिंह आ. धनसिंह मोतीबाई बेवा धनसिंह रघुवीरसिंह प्रीतमसिंह जानकीबाई पुत्री प्रीतम प्यारीबाई बेवा प्रीतम जाति चमार पता सा. झिरिया भूमि स्वामी	7/1	2.298	2.298	---	---	
			8/2	0.186	0.186	---	---	
/	---	मीहीलाल आ. भीकम जाति चमार पता सा. झिरिया भूमि स्वामी	7/2	2.298	2.298	---	---	
			8/1	0.186	0.186	---	---	
/	---	अजीजाबीपत्नि अब्दुल सगीर जाति 0 पता सा. शनिचरी टोरी सागर भूमि स्वामी	10	3.415	3.415	---	---	
			11	0.251	0.251	---	---	
			13	1.243	1.243	---	---	
/	---	अब्दुल नसीम आ. अब्दुल सगीर जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	12/1	3.404	3.404	---	---	
			95	0.802	0.802	---	---	
/	---	शाहबाज खान आ 0 अब्दुल नसीम जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	12/2	2.022	2.022	---	---	
			97	2.096	2.096	---	---	
/	---	कड़ोरी, बल्देव, फूलसिंह आ. मुल्ला जाति लुहार पता सा. चादामऊ भूमि स्वामी	14/1/1	1.841	1.841	---	---	
/	---	ताजवरी बेगम पत्नि हसन अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1/2	0.611	0.611	---	---	
/	---	उदयभान आ. प्यारेलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम सा देह भूमि स्वामी	14/2/1	0.409	0.409	---	---	
/	---	हीराबाई आ. प्यारेलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2/2	0.408	0.408	---	---	

		दीनदयाल, गोरीशंकर, उमाशंकर ,कौशिल्याबाई आ. गणेशनाथ, शंतीबाई बेवा गणेशनाथ, पता निवासी ग्राम भबुका भूमि स्वामी	15/1	1.460	1.460		
		देवका बाई पुत्री कछेदी	15/2	0.731	0.731		
		राजकुमारी पुत्री फुल्ला	15/3	0.731	0.731		
		गोपाल, दामोदर पिता मन्नु जातिनाथ	15/4	0.731	0.731		
		तुलसीराम, आ. गजाधर जाति लोधी पता सा. भवूका भूमि स्वामी	16 60	4.189 0.093	4.189 0.093		
		लइक मोहम्मद आ. वजीर मोहम्मद जाति पता सा. रहतगढ भूमि स्वामी	17/1	1.820	1.820		
		अतीक मोहम्मद आ. वजीर मोहम्मद जाति पता सा. सागर भूमि स्वामी	17/2	1.820	1.820		
		शफीक मोहम्मद आ. वजीर मोहम्मद	17/3	0.995	0.995		
		जाति पता सा. भूमि स्वामी	20/1	0.647	0.647		
		शाकिरअली आ. सबदरअली जाति पता सा. देह भूमि स्वामी	17/4/1 27/1 32/1 76/1 77	0.506 0.316 0.356 0.765	0.506 0.316 0.356 0.765		
		बद्रीप्रसाद, हरीचनरज आ. खिलान सिंह हि 1/2 शोकल अली, सविर नासिर आ. सबदर अली मकबूल वी बेवा सबदर अली तेयूव अली आ. कासम अली हि 1/2 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/4/2 20/2 23/2/1 25	0.506 0.502 0.526 1.448	0.506 0.502 0.526 1.448		
		ताहिर अली आ. तैयब अली जाति पता सा. देह भूमि स्वामी	18/1/1	1.011	1.011		
		शकावत अली आ. शकूर अली जाति पठान पता निवासी सा देह भूमि स्वामी	18/1/2 103/26 /1/1 80/2/2 78/2 70/2/2 /2/2, 72,73	1.445 0.566 1.214 1.473 0.348	1.445 0.566 1.214 1.473 0.348		
		महाराज सिंह आ रामप्रसाद जाति कुर्मी	18/2 19/2	0.405 0.809	0.405 0.809		



		(4)					
		पता सा.परासरी खुर्द तह. राहतगढ जिला सागर भूमि स्वामी					
---	---	शांक्त अली साकिर अली,साबिर अली, नासिर अली, आ. सबदर अली	19/1/1 /1	0.627	0.627	---	---
---	---	मकबूलबी वेवासबदर अली जाति मुसलमान भूमि स्वामी तैयब अली आ. तैयुब अलीआ. कासमअली हि 80 पैसे शकूर अली आ.मजहर अलीहि 20 पैसे जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	21/3	0.170	0.170	---	---
---	---	काशीबाई वेवा गोर्वधन जाति धोबी पता सा. ऐरन तह जिला सागर भूमि स्वामी	19/1/1 /2	0.809	0.809	---	---
---	---	नजर मो आ. असगर जाति मुसलमान पता सा. देह भूमि स्वामी	19/1/2	0.809	0.809	---	---
---	---		19/1/3 /2/1	0.809	0.809	---	---
---	---		21/1	0.194	0.194	---	---
---	---		23/1	1.040	1.040	---	---
---	---	रमेश आ.अनन्दी जाति धोबी पता सा परासरी भूमि स्वामी	19/1/3 /1/1	0.809	0.809	---	---
---	---	मनबाई पत्नी सनमान सिंह जाति धोबी पता सा.चांदामउ भूमि स्वामी	19/1/3 /1/2	0.809	0.809	---	---
---	---	परम आ 0 मोहनलाल जाति काछी पता निवासी उमरिया भूमि स्वामी	19/1/3 /2/2	0.627	0.627	---	---
---	---		103/26 /2/2	0.081	0.081	---	---
---	---	राकेश आ 0 हीरालाल जाति यादव पता निवासी ग्राम बाई क्रमांक 9 राहतगढ सागर भूमि स्वामी	21/2	0.365	0.365	---	---
---	---	हरि सिंह, आ. पुरन सिंह, दामोदर, कमोद ,कुअर बाई ,छोटी बाई ,सावित्री बाई आ. अजुददी जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी मुश्ताक अली आ; मुहम्मद अली जाति सैयद भोपाल	22/1	1.867	1.867	---	---
---	---		84/1	0.387	0.387	---	---
---	---		108/22	0.263	0.263	---	---
---	---		109/84	0.283	0.283	---	---
---	---		22/2	0.586	0.586	---	---
---	---	रफत वी पत्नि सकावत अली जाति मुसलमान पता सा देह भूमि स्वामी	84/2	0.628	0.628	---	---
---	---		23/2/2	0.526	0.526	---	---
---	---		24	0.769	0.769	---	---
---	---		27/2	0.320	0.320	---	---
---	---	अब्दुल अतीकखां आ. अब्दुल रसीदखां	103/26 /1/2	0.029	0.029	---	---
---	---		26/1	0.809	0.809	---	---

		जाति .पता सा. बैगमगंजभूमि स्वामी					
		लईका बी पत्नि अब्दुल अतीक खां	26/2	1.476	1.476	--,"--	--,"--
		जाति खां पता सा. बैगमगंज भूमि स्वामी	80/1	0.507	0.507	--,"--	--,"--
		साविर अली आ. सवर अली जाति	26/3/1	0.405	0.405	--,"--	--,"--
			88/2	0.470	0.470	--,"--	--,"--
			90/1	0.241	0.241	--,"--	--,"--
		पता सा देह भूमि स्वामी	91/1	0.746	0.746	--,"--	--,"--
		नासिर अली आ.सवदर अली जाति	26/3/2	0.267	0.267	--,"--	--,"--
			91/2	1.417	1.417	--,"--	--,"--
		पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी					
		उजमा पत्नि साजिद अली जाति	28/1	2.023	2.023	--,"--	--,"--
		पठान					
		पता सा.देह भूमि स्वामी					
		हसन अली, बखतअली, सादिक	30/1/1	1.214	1.214	--,"--	--,"--
		अली आ. तुकमान अली, शेर	54/1	0.607	0.607	--,"--	--,"--
		अली, नूरअली, लियाकत अली,	92/1	1.066	1.066	--,"--	--,"--
		जुवेदा बी बेवा लियाकत अली					
		जाति पता निवासी ग्राम					
		भूमि स्वामी					
		सोकत अली आ. सबदर अली	30/1/2	1.942	1.942	--,"--	--,"--
		जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम				--,"--	--,"--
		भूमि स्वामी					
		अख्तर अली आ. कासम अली	30/2/1	1.189	1.189	--,"--	--,"--
		जाति पठान पता सा.देह भूमि	56/2	0.405	0.405	--,"--	--,"--
		स्वामी					
		छोटे मियां आ. कासमअली जाति	30/2/2	1.594	1.594	--,"--	--,"--
		पता सा.देह भूमि स्वामी					
		शोकत, साकिर, साबिर, नासिर	31/1	0.506	0.506	--,"--	--,"--
		,आ. सबदर अली, लतीफवी					
		,रुफीफावी, हबीबा वी, लइकावी	54/2	0.117	0.117	--,"--	--,"--
		,पुत्री सबदर अली					
		जाति मुसलमान पता सा देह भूमि					
		स्वामी					
		मुनब्बर अली आ. कासम अली	31/2/1	1.473	1.473	--,"--	--,"--
		जाति	56/1	0.121	0.121	--,"--	--,"--
		पता सा.देह भूमि स्वामी					
		तैय्युब अली आ. कासिम अली	31/2/2	0.563	0.563	--,"--	--,"--
		जाति	33	0.461	0.461	--,"--	--,"--
			57	0.570	0.570	--,"--	--,"--

		पता सा.देह भूमि स्वामी	82	0.486	0.486	--,"--	--,"--
			70/2/2 /2/1, 72, 73	0.627	0.627	--,"--	--,"--
			70/1/2, 72, 73	0.242	0.242	--,"--	--,"--
			76/2/2 /1, 77	0.041	0.041	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	शफीक अहमद आ. यूसुफ अहमद जाति पता सा भोपाल भूमि स्वामी	32/2	0.809	0.809	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	रामसिंह आ मिहीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तार्णीय	35/1/1	0.731	0.731	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	रमेश आ 0 अनन्दी जाति चमार पता सा देह शासकीय पट्टेदार अहस्तातरणीय	35/1/2 36/2/3	0.731 0.280	0.731 0.280	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--
--,"--	--,"--	नारायण आ अनन्दी जाति चमार पता निवासी ग्राम अहस्तातरणीय भाग भूमि स्वामी	35/1/3 36/2/2	0.731 0.280	0.731 0.280	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--
--,"--	--,"--	नन्हीबाई वे. पूरन रामराज मुनीम विकास सोनू मोनू रश्मी रोशनी सभी नाबा. आ. पूरन स. मां स्वयं नन्हीबाई जाति चमार पता सा. झिरिया अहस्तातरणीय भाग भूमि स्वामी	35/2	1.659	1.659	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	फिरोज बेगम पत्नी इस्माईल खान जाति मुसलमान पता सा.देह भूमि स्वामी	36/1	1.615	1.615	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	दशरथ आ. आनंदी चमार पता सा झिरिया वरा गढी भूमि स्वामी	36/2/1	1.055	1.055	--,"--	--,"--
--,"--	--,"--	सफाअत अली आ0 शेर अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम झिरिया व गढी भूमि स्वामी	37 39/1	0.798 0.413	0.798 0.413	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--
--,"--	--,"--	सईद खा आ. सलीम खॉ जाति पठान पता सा.देह भूमि स्वामी	38 39/2	0.954 0.036	0.954 0.036	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--

--	--	जुनेद अली ना.बा. वल्द वली जावेद अली पता निवासी ग्राम झिरिया व गढी भूमि स्वामी	40 'kk- ua- 41 गा. न.	1.731	1.731	--	--
--	--	शफीका वी पत्नि चांदखां जाति पठान पता निवासी सा देह भूमि स्वामी	42 43	0.360 1.318	0.360 1.318	--	--
--	--	कमलसिंह आ. धनसिंह जाति चमार पता सा. झिरिया सेवा खातेदार	44/1	2.906	2.906	--	--
--	--	आमिर खान आ इस्माईल खान जाति पता सा देह भूमि स्वामी	44/2/1 44/2/3	2.023 1.295	2.023 1.295	--	--
--	--	रम्सा ,रामचरन, बब्बू, आ. मुल्ला,नर्वदीबाई बेवा मुल्ला ,दुज्जा,सुमित्राबाई,प्रेमबाई पिता मुल्ला जाति आदिवासी पता निवासी ग्राम झिरिया भूमि स्वामी	44/2/2 101/39	0.567 0.559	0.567 0.559	--	--
--	--	प्रेम आ मुन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/2/4 107/69 /2	0.809 0.419	0.809 0.419	--	--
--	--	साहिद अली आ० शेर अली पता निवासी ग्राम झिरिया व गढी भूमि स्वामी	46	0.575	0.575	--	--
--	--	शेर अली आ० नवाब अली पता निवासी ग्राम - झिरिया व गढी भूमि स्वामी	47 50	1.430 0.543	1.430 0.543	--	--
--	--	शवाना बेगम पत्नि जावेद अली पता निवासी ग्राम झिरिया व गढी भूमि स्वामी	48 49	1.335 0.490	1.335 0.490	--	--
--	--	असलम खां आ. अमीर खां जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51 80/2/1 /3	0.729 0.899	0.729 0.899	--	--
--	--	सलमान खॉ आ. छोटे खा जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52 53/2	0.918 0.284	0.918 0.284	--	--
--	--	शोएब आ. आकिल खां जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/1	0.445	0.445	--	--
--	--	मुबारिक अली आ.युसुफ अली जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	61 99/2	0.332 1.420	0.332 1.420	--	--

		तैयुबअली आ. कासमअलीशोकतअली आ. लियाकत अली जाति पता सा.देह बराबर भाग भूमि स्वामी	62	0.174	0.174	--,"--	--,"--
		जाहिद अली आ. कुदरतअली जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	63	0.138	0.138	--,"--	--,"--
		कुदरत अली आ. युसुफअली जाति पता सा.देह भूमि स्वामी	65 105/64	0.109 0.036	0.109 0.036	--,"--	--,"--
		दुर्गा आ. छुट्टा जाति बरेठा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/1/1	1.668	1.668	--,"--	--,"--
		भीकम आ. अनन्दी जाति बरेठा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/1/2	1.668	1.668	--,"--	--,"--
		कन्हई आ. अनन्दी जाति बरेठा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/1/3	1.668	1.668	--,"--	--,"--
		अब्दुल शमीम अ० नईम आ०जस्मीन पिता अ. रफीक रुकसाना बी बेबा अ० रफीक सोयव परवेज मुवशिरा शाहीन रुबी नीलोफर पिता अ०शफीक नफीसा बेगम वेवा अ०शफीक जाति मुसलमान भूमि स्वामी	70/1/ 1 72,73 70/2/ 1/1 72,73 70/2/2/ 1 शा.न. 72,73 74/1 76/2/ 1,77 78/1	0.291 0.174 1.169 0.178 0.089 1.764	0.291 0.174 1.169 0.178 0.089 1.764	--,"-- --,"-- --,"-- --,"-- --,"-- --,"--	--,"-- --,"-- --,"-- --,"-- --,"-- --,"--
		शौकत अली,साबिर अली, सादिक अली नासिर अली, आ. शबदर अली जाति मु. भूमि स्वामी	70/2/1 /2, 72, 73 74/2 76/2/2 /2, 77	0.149 0.149 0.036	0.149 0.149 0.036	--,"-- --,"-- --,"--	--,"-- --,"-- --,"--
		छोटे खान आ. अमीर खान जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/1 /1 98	0.809 1.659	0.809 1.659	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--
		आकिल खां आ अमीर खां जाति मु. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/1 /4	0.809	0.809	--,"--	--,"--
		शकूर अली आ ० मजहर अली जाति पठान पता सा देह भूमि स्वामी	80/2/2 82	1.214 0.486	1.214 0.486	--,"-- --,"--	--,"-- --,"--
		लकमान खां आ. लियाकत अली	86	1.117	1.117	--,"--	--,"--

		जाति .	88/1	0.675	0.675	--,"--	--,"--
		पता सा.देह भूमि स्वामी	92/2	0.997	0.997	--,"--	--,"--
		बेबी अली पत्नि हसन अली	89	1.664	1.664	--,"--	--,"--
		जाति मुसलमान पता जिन्सी	90/2	1.134	1.134	--,"--	--,"--
		जहांगीरबाद भोपाल भूमि स्वामी					
		बरकत अली आ लियाकत अली	93/1	0.766	0.766	--,"--	--,"--
		जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम					
		भूमि स्वामी					
		अशरफ आ. हसन अली जाति	93/2	0.983	0.983	--,"--	--,"--
		मुसलमान					
		पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी					
		अब्दुल वसीम पुत्र अ. नसीम खॉ	96	1.825	1.825	--,"--	--,"--
		जाति पता निवासी ग्राम भूमि					
		स्वामी					
		शारिक अली. बल्द मुवारिक अली	99/1	1.416	1.416	--,"--	--,"--
		जाति .पता निवासी ग्राम भूमि					
		स्वामी					
		वीरसिंह अजुद्धी जाति काछी पता	103/26	0.518	0.518	--,"--	--,"--
		निवासी ग्राम भूमि स्वामी	/2/1				
		रम्मू आ. अनन्दी जाति बरेठा पता	107/69	1.668	1.668	--,"--	--,"--
		निवासी ग्राम भूमि स्वामी	/1				
		योग:-	171	154.980	154.980		

ट - | भूमि का नकशा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्रकरण क्रमांक 7210-अ /2017-18

धार, दिनांक 4 जून 2018

**:प्रारंभिक अधिसूचना:**

**(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में केसूर-सादलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

ग्राम- केसूर

तहसील - धार जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	केसूर-सादलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित होने से।	2.034	0.344	2.378
	<b>योग</b>	<b>2.034</b>	<b>0.344</b>	<b>2.378</b>

**अनुसूची (2)**

**केसूर-सादलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य में प्रभावित ग्राम केसूर तहसील धार जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण**

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	चन्द्रपालसिंह, गिरीराजसिंह, किरणकुंवर पिता विक्रमसिंह, सुरेन्द्रकुंवर पति स्व. विक्रमसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह, वीरभद्रसिंह, लक्ष्यजीतसिंह, प्रगतिकुंवर पिता सुरेन्द्रसिंह, मायाकुंवर पति स्व. सुरेन्द्रसिंह, सुमित्रा, मीनाबाई, किसुबाई पिता बहादुरसिंह, विरेन्द्रकुंवर पति स्व. बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी केसूर	340	2.036	0.000	2.036	0.547	0.000	0.547
		341	1.088	0.000	1.088	0.461	0.000	0.461
		342	0.000	0.455	0.455	0.000	0.072	0.072
2	नरेन्द्रकुमार, राजेन्द्रकुमार पिता छोगालाल जाति महाजन निवासी केसूर	356/1	1.239	0.000	1.239	0.224	0.000	0.224
3	उदयसिंह, अनुपसिंह, दलपतसिंह, सोहनसिंह, कमलसिंह, विष्णुबाई पिता उमरावसिंह, सुगनबाई पति स्व. उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी केसूर	379	0.152	0.000	0.152	0.024	0.000	0.024
4	मनोहर पिता सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी केसूर	380/2	0.557	0.000	0.557	0.158	0.000	0.158

5	नागुसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी केसूर	381	0.164	0.000	0.164	0.082	0.000	0.082
6	मणिशंकर, अनिलकुमार पिता रामचन्द्र जाति नाई निवासी केसूर	690	0.000	1.720	1.720	0.000	0.272	0.272
7	कुसुमलताबाई पति स्व. मनोहरलाल, लक्ष्मीनारायण, चेतनाबाई, कविताबाई पिता मनोहरलाल, भावनाबाई पति स्व. चेतन, समर्थ, प्रज्ञा, प्राची पिता चेतन ना.बा.पा. कर्ता माता भावनाबाई पति स्व. चेतन जाति ब्राम्हण निवासी केसूर	404	0.405	0.000	0.405	0.120	0.000	0.120
		405	0.405	0.000	0.405	0.120	0.000	0.120
		406	0.405	0.000	0.405	0.123	0.000	0.123
		407	0.101	0.000	0.101	0.068	0.000	0.068
8	कुसुमलताबाई पति स्व. मनोहरलाल जाति ब्राम्हण निवासी केसूर	403	0.405	0.000	0.405	0.039	0.000	0.039
9	सत्यनारायण पिता भागीरथ जाति ब्राम्हण निवासी केसूर	402	0.101	0.000	0.101	0.068	0.000	0.068
योग :-			7.058	2.175	9.233	2.034	0.344	2.378

प्रकरण क्रमांक 630-ए- . . . /2017-18

धार, दिनांक 27 अप्रैल 2018

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013)

प्रकरण क्रमांक/...../भू अर्जन/2018

धार, दिनांक .....

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में आँकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम कवठी तहसील मनावर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.350	--	0.350
योग -		0.350	--	0.350

## अनुसूची (2)

आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम कवठी तहसील मनावर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	हिरालाल, भगवान, शिवराम, सहदेव, राजकुंवर, सावित्री, शांता, दुर्गा, शारदा पिता गंगाराम व रुखमाबाई देवी गंगाराम जाति कुलमी नि. लंगूर भूमि स्वामी	59/1/1	1.150	-	1.150	0.050	-	0.050
		58/3	0.658	-	0.658	0.130	-	0.130
		58/1	1.150	-	1.150	0.170	-	0.170
योग -			2.958	-	2.958	0.350	-	0.350



## प्रकरण क्रमांक 628-ए- . . . /2017-18

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में आँकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर तहसील मनावर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त सिंचाई परियोजना का पूर्व में अधिकांश भूमि अर्जित कर ली गई है। नहर निर्माण के समय उक्त भूमि प्रभावित हो रही है। इस हेतु पूरक प्रकरण तैयार किया गया है।

7  
MAY अनुसूची (1)

ग्राम :- मिर्जापुर तहसील - मनावर जिला धार (म.प्र.)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.510	-	0.510
	योग -	0.510	-	0.510

## अनुसूची (2)

आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर तहसील मनावर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	युसुफ, इस्माइल सरताजबी पिता मेहबूब आपासानाबी बेवा मेहबूब जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210/2/2/1	0.784	-	0.784	0.490	-	0.490
		211/1/1	0.052		0.052	0.020		0.020
	योग -		0.836	-	0.836	0.510	-	0.510

प्रकरण क्रमांक / ..... 636 / भू अर्जन / 2018

धार, दिनांक .....

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में आँकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम पटलावद तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त सिंचाई परियोजना का पूर्व में अधिकांश भूमि अर्जित कर ली गई है। नहर निर्माण के समय उक्त भूमि प्रभावित हो रही है। इस हेतु पूरक प्रकरण तैयार किया गया है।

## अनुसूची (1)

ग्राम :- पटलावद तहसील - धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.025	-	0.025
	योग -	0.025	-	0.025

## अनुसूची (2)

आँकारे वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम पटलावद तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	राधेश्याम पिता हंसराज जाति कुलमी निवासी ग्राम	154/1/3	0.111	-	0.111	0.025	-	0.025
	योग -		0.111	-	0.111	0.025	-	0.025

प्रकरण क्रमांक 771-2018

धार, दिनांक 13 जून 2018

**सार्वजनिक सूचना**  
**( मध्य प्रदेश शासन की 'आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत)**

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत प्रस्तावित निम्नानुसार नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-4 समुह-2 के नहर निर्माण से प्रभावित होने से आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन

(क)	ग्राम का नाम	:-	सुलीबर्डी
(ख)	तहसील	:-	मनावर
(ग)	जिला	:-	धार
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	:-	0.340 हे.

स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्रय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4
1	बंशीलाल, संजय पिता मांगलीलाल, शिवकुंवरबाई बाई बेवा मांगीलाल, जाति भीलाला निवासी ग्राम सुलीबर्डी	321/3	0.340
	योग -		0.340

- उपरोक्त कृषकों की भूमि औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-4 समुह-2 के निर्माण से प्रभावित होने से क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर धार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 634-ए- . . . /2018

धार, दिनांक 29 अप्रैल 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम टवलाईखुर्द तहसील मनावर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त सिंचाई परियोजना का पूर्व में अधिकांश भूमि अर्जित कर ली गई है। नहर निर्माण के समय उक्त भूमि प्रभावित हो रही है। इस हेतु पूरक प्रकरण तैयार किया गया है।

### अनुसूची (1)

ग्राम :- टवलाईखुर्द तहसील - मनावर जिला धार (म.प्र.)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.350	—	0.350
	योग -	0.350	—	0.350

### अनुसूची (2)

औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम टवलाईखुर्द तहसील मनावर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	शोभाराम पिता पन्नालाल जाति जाट नि.ग्राम	19/1	1.012	-	1.012	0.150	-	0.150
		19/2	1.011	-	1.011	0.200	-	0.200
	योग -		2.023	—	2.023	0.350	-	0.350

प्रकरण क्रमांक 632-ए- . . . /2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में औंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम उरदना तहसील मनावर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र 30 सन् 2013) कि धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त सिंचाई परियोजना का पूर्व में अधिकांश भूमि अर्जित कर ली गई है। नहर निर्माण के समय उक्त भूमि प्रभावित हो रही है। इस हेतु पूरक प्रकरण तैयार किया गया है।

### अनुसूची (1)

ग्राम :- उरदना तहसील - मनावर

जिला धार (म.प्र.)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.045	-	0.045
	योग -	0.045	-	0.045

### अनुसूची (2)

औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम उरदना तहसील मनावर की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	नरेन्द्र पिता उर्मदसिंह जाति राजपुत नि.ग्राम	13/2/2	1.128	-	1.128	0.045	-	0.045
	योग -		1.128	-	1.128	0.045	-	0.045

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 मई 2018

क्र. 2711-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-बरघाट रा.नि.मं.-बरघाट.	ग्राम-सालहेकला प.ह.नं.-66.	1.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	काचना मंडी जलाशय के स्पीच चैनल, बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरघाट, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1, सिवनी, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग बरघाट, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 29 मई 2018

क्र. 2746-जि.भू.अ.-2018.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे”. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.	ग्राम-राहीवाड़ा ब. नं.-519 प.ह.नं.-31.	27.50	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3, डी-4 वितरिका नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.				

क्र. 2747-जि.भू.अ.-2018.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.	ग्राम-भोगाखेड़ा ब. नं.-463 प.ह.नं.-36.	16.50	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 एवं 4 वितरिका नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 2748-जि.भू.अ.-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन अधिनियम, 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के अंतर्गत लगभग प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी, भाग-2	ग्राम-बलपुरा ब. नं.-315 प.ह.नं.-96.	11.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा
				पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।



क्र. 2749-जि.भू.अ.-2018.चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे”. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.	ग्राम-गोरखपुरकला ब. नं.-143 प.ह.नं.-26	21.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.
					(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
					(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
					(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 2750-जि.भू.अ.-2018.चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे”. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-नरेला ब. नं.-303 प.ह.नं.-100.	10.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 2751-जि.भू.अ.-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की

अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम		की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील सिवनी, रा.नि.मं.-बड़ोल.	ग्राम-सोनाडोगरी ब. नं.-590 प.ह.नं.-37.	50.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 एवं 4 वितरिका नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

सिवनी, दिनांक 1 जून 2018

क्र. 2787-जि.भू.अ.-2018.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन अधिनियम, 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-सिमरिया ब. नं.-567 प.ह.नं.-99.	2.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर के निर्माण हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.				

प्र. क्र. 2788-जि.भू.अ.-2018.चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन अधिनियम 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-देवरी ब. नं.-281 प.ह.नं.-99	3.50	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 2789-जि.भू.अ.-2018. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

### अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन अधिनियम, 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ ब. नं.-303 प.ह.नं.-100.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-नरेला ब. नं.-303 प.ह.नं.-100.	17.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
				पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर के निर्माण हेतु.
				(6)

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 2790-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे”. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है.

### अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन अधिनियम, 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-ढेकी ब. नं.-254 प.ह.नं.-102.	10.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 2791-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

“भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।” उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 ENV-5/1A नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है।

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/रा.नि.मं.	नगर/ग्राम		की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.	ग्राम-तिधरा ब. नं.-258 प.ह.नं.-101.	7.00	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरिका नहर के निर्माण हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 जून 2018

प्र. क्र. 047-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	झिरमिला करियापानी	निजी भूमि रकबा 4.43 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.15 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
			कुल रकबा 5.58 है.		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 048-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	इमलिया	निजी भूमि रकबा 4.105 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.200 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
			कुल रकबा 4.305 है.		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 23 मई 2017

प्रकरण क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन,



इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11. की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल वर्गफिट	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	23100 वर्गफिट	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	बाढ़ नियंत्रण हेतु नर्मदा किरानें होमसाइंस कॉलेज के पास गाइडबण्ड निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—बाढ़ नियंत्रण हेतु नर्मदा किराने होमसाइंस कॉलेज के पास गाइडबण्ड निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 5 जून 2018

क्र. 1743-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 29-अ-82-2017-18-भू-अर्जन-उदयपुरा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :—

ग्राम का नाम—तिखावन

तहसील—उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं	अनुसूची		प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	तिखावन	हरिसिंह आ. तुलसीराम जाति किरार, निवासी ग्राम भू-स्वामी.	2/2	1.701	0.061	कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी, जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की मुख्य पोषक नहर हेतु.

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 5 जून 2018

प. क्र. 265-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है की कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम —गाड़ा लोलर सिंह  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.596 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1165	0.370	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान मुख्य नहर/शाखा
2	1182/1	0.210	संभागा सीधी, जिला-सीधी	नहर निर्माण हेतु.
3	1190	0.226	(म. प्र.).	
4	1190/2	0.200		
5	1209	0.082		
6	1191	0.091		
7	1195	0.161		
8	1206	0.195		
9	1201	0.030		
10	1203	0.031		
	योग . . .	1.596		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.  
 (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.  
 (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.  
 (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 249-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है की कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम —खैरही  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.881 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	131	0.077	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान मुख्य नहर/शाखा
2	128	0.064	संभाग, सीधी, जिला-सीधी	नहर निर्माण हेतु.
3	129	0.063	(म. प्र.).	
4	125	0.149		
5	137	0.020		
6	127	0.062		
7	126	0.021		
8	124	0.005		
9	123	0.037		
10	121	0.092		
11	118	0.113		
12	205	0.161		
13	187	0.008		
14	204	0.136		
15	203	0.003		
16	212/1	0.257		
17	202	0.046		
18	213/1	0.003		
19	213/2	0.088		
20	214	0.147		
21	215	0.014		
22	217	0.305		
23	212/2	0.010		
	योग . .	1.881		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 251-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम —शिवपुरवा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.914 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	317	0.050	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग,	महान (गुलाब सागर)
2	333	0.267	सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	परियोजना के बहरी
3	335/1	0.030		नहर विस्तार योजना
4	335/2	0.237		(द्वितीय चरण के मुख्य
5	430	0.175		नहर निर्माण हेतु.
6	450	0.031		
7	453	0.023		
8	454	0.169		
9	465	0.147		
10	452	0.213		
11	455	0.012		
12	468	0.048		
13	463	0.061		
14	464	0.108		
15	512	0.379		
16	513	0.018		
17	526	0.654		
18	527	0.011		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	517	0.046		
20	518	0.241		
21	520	0.0160		
22	521/1	0.016		
23	522/1	0.398		
24	524/1	0.012		
25	529	0.141		
26	530	0.111		
27	531	0.115		
28	431/1	0.049		
29	521/2	0.004		
30	522/2	0.120		
31	524/2	0.012		
योग . .		3.914		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 261-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम —कोठार  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 3.598 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	369	0.468	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान मुख्य नहर/शाखा
2	370	0.030	संभाग सीधी, जिला सीधी	नहर निर्माण हेतु.
3	378	0.025	(म. प्र.).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	380	0.010		
5	379	0.521		
6	406	0.210		
7	429	0.020		
8	595	0.259		
9	626	0.208		
10	407	0.007		
11	405	0.287		
12	404	0.243		
13	403	0.006		
14	528	0.040		
15	433	0.071		
16	534	0.297		
17	533	0.014		
18	538	0.061		
19	597	0.038		
20	598	0.103		
21	535	0.140		
22	536	0.113		
23	530	0.172		
24	529	0.047		
25	619	0.208		
योग . .		3.598		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 255-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम—हड़बड़ो  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.357 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	85	0.127	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग,	महान मुख्य नहर/शाखा
2	87	0.155	सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.
3	88	0.237		
4	90	0.053		
5	89	0.140		
6	476	0.017		
7	479	0.252		
8	485	0.040		
9	486	0.205		
10	484	0.158		
11	493	0.218		
12	494	0.111		
13	497	0.364		
14	496	0.032		
15	500	0.008		
16	509	0.004		
17	506	0.077		
18	508	0.118		
19	507	0.040		
20	107	0.001		

योग . . . 2.357

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है।  
 (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.  
 (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.  
 (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 263-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम —गाड़ा बबन सिंह  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.013 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1045	0.091	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग,	महान मुख्य नहर/शाखा
2	1069	0.128	सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.
3	1035	0.132		
4	1044	0.147		
5	1070	0.001		
6	1068	0.117		
7	1033	0.009		
8	1048	0.097		
9	1055	0.102		
10	1052	0.154		
11	1054	0.035		
योग . .		1.013		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.  
 (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.  
 (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.  
 (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 259-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित



है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम —भलुआ कला  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.801 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	133	0.037	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
2	134	0.010		
3	135	0.037		
4	136	0.048		
5	168	0.254		
6	137	0.020		
7	138	0.040		
8	174	0.005		
9	169	0.063		
10	173	0.111		
11	172	0.010		
12	166	0.076		
13	167	0.079		
14	171	0.011		
योग . .		0.801		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास में देखा जा सकता है.  
 (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक, नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.  
 (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.  
 (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 257-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित

है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—गोपद बनास  
 (ग) ग्राम—देवरहा  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.220 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	95	0.022	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
2	93/1	0.030		
3	86/1	0.125		
4	93/2	0.085		
5	86/2	0.075		
6	107	0.005		
7	92	0.010		
8	86/3	0.026		
9	93/3	0.091		
10	109	0.071		
11	116	0.066		
12	135	0.614		
योग . . .		1.220		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 253-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित

है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—उपनी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.471 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	867	0.016	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग,	महान मुख्य नहर/शाखा
2	869	0.004	सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.
3	1452/1			
4	1452/2	0.185		
5	1452/3			
6	1442/1			
7	1442/2	0.120		
8	1442/3			
9	1453	0.064		
10	1449	0.020		
11	1450	0.044		
12	1454/1			
13	1454/2	0.002		
14	1455	0.030		
15	1451/1			
16	1452/2	0.219		
17	1452/3			
18	1452/4			
19	1443	0.010		
20	1444	0.010		
21	1441	0.098		
22	1439	0.081		
23	1440	0.004		
24	1413	0.112		
25	1412	0.090		
26	1419	0.210		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	1418	0.006		
28	1420	0.183		
29	1336	0.025		
30	1167	0.493		
31	1417	0.003		
32	1421	0.295		
33	1335	0.093		
34	1334	0.157		
35	1285	0.083		
36	1288	0.005		
37	1289	0.025		
38	1281	0.279		
39	1282	0.048		
40	1180	0.092		
41	1172	0.087		
42	1189	0.049		
43	1080	0.251		
44	1079	0.237		
45	1077	0.040		
46	1078	0.050		
47	1209	0.050		
48	1145/1	0.080		
49	1145/5	0.020		
50	1145/3/1	0.180		
51	1145/3	0.020		
52	1143/4/1	0.040		
53	1143/4/2	0.040		
54	1143/2	0.020		
55	1168/3	0.050		
56	1168/4	0.010		
57	1168/5	0.050		
58	1168/6	0.010		
59	1168/7	0.020		
60	1168/8	0.020		
61	1168/9	0.010		
62	1168/10	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63	1168/11	0.010		
64	1168/12	0.040		
65	1168/13	0.020		
66	1168/14	0.050		
67	1286/2	0.010		
68	1181/1	0.041		
69	1181/2	0.040		
70	1181/3	0.040		
71	1181/4	0.040		
72	1188/1	0.040		
73	1188/2	0.020		
74	1182/1	0.040		
75	1182/2	0.040		
76	1182/3	0.040		
77	1182/4	0.040		
78	1182/5	0.040		
79	1182/6	0.050		
80	1182/7	0.040		
81	1182/8	0.040		
82	1182/9	0.040		
83	1182/10	0.040		
84	1190/1	0.010		
85	1190/3	0.010		
86	1192/1	0.030		
87	1192/2	0.050		
88	1192/3	0.050		
89	1192/4	0.050		
90	1191/1/2	0.020		
91	1191/1/3	0.040		

योग . . . 5.471

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 15 जून 2018

प्र. क्र. 1 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	बमूलिया दोराहा	69.334	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 02- अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	आछारोही	59.178	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 03- अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	हिंगौनी	83.707	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 04-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	घाटपलासी	45.938	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 05-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	छतरपुरा	23.718	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 06 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	भेरुपुरा	22.850	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 07 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	बिसनखेडा	49.998	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 08 अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके



द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	चरनाल	20.969	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 09-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	दुरगांव	39.590	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 10-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	महुआखेडी	191.363	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 15 जून 2018

प्र. क्र.11-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	पड़याला	114.813	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 18 जून 2018

प्र. क्र. 12-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	बरी	27.420	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 13-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	मानपुरा	315.778	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 14-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	मरहेटी	272.726	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 15-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	चांदबड	142.262	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

सीहोर, दिनांक 15 जून 2018

प्र. क्र. 16-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	मगरदीखुर्द	36.724	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 17-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	रावतखेडा	118.450	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्र. क्र. 18-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	मगरदीकला	30.892	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 19-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	अरनिया सुल्तानपुरा	90.928	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 20-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	गवा	87.875	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़, राजगढ़.	पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—फुलगाँवड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.661 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/1/	0.270
1177	0.118
1178	0.260
1173/2	0.055
1173/1	0.285
1172/1	0.085
247/1	0.165
246/2	0.180
246/1	0.147
84	0.047
83	1.045
82	0.004
योग . .	2.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5793-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—मारोल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.175 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242	0.075
243	0.100
योग . .	0.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5795-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—इडरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.944 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/3	0.371
113	0.380





(1)	(2)	अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
692	0.431		
451	0.005		
690	0.087		
679/1	0.231		
679/2	0.013		
675	0.392		
677/4	0.196		
677/3	0.083		
674/4	0.022		
674/1	0.076		
674/2	0.228		
656/2	0.209		
593	0.195		
602	0.036		
601	0.007		
590	0.261		
583	0.145		
582/1	0.135		
582/2	0.054		
577	0.157		
556	0.149		
9/1	0.074		
9/2	0.003		
8/2	0.052		
8/3	0.052		
466	0.732		
464	0.052		
685	0.017		
8/1	0.058		
	योग . . . 7.064		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”		खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		(1)	(2)
		166	0.349
		170/1	0.230
		171/1	0.230
		172/1	0.065
		173/2	0.065
		158/2	0.140
		160	0.344
		163	0.103
		291	0.438
		315/1	0.040
		320	0.052
		321/2	0.270
		159	0.008
		136	0.438
		276/1	0.175
		164	0.090
		276/2	0.150
		290	0.230
		383/3	0.005
		274	0.274
		307	0.110
		306/1/2	0.488
		306/1/1	0.010
		315/2	0.005
		319	0.047
		318/1	0.050
		318/2	0.125
		375	0.120
		380/2/1	0.020
		374	0.234
		380/1	0.300
		381/1	0.170
		382	0.140
		योग . . .	5.515

प्र. क्र. 5799-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5801-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—हातोद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.389 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1266	0.125
1273/1	0.345
1271	0.102
1273/2	0.355
1270	0.136
1268/3	0.115
1269	0.210
1276/3	0.063
1276/4	0.063
1277/3	0.172
1277/2	0.176
1277/1/क/2	0.251
1247	0.341
1284	0.102
1245/6	0.438
1245/5	0.376
1245/4	0.307
1245/1	0.645
1231	0.293

(1)	(2)
1213/1/क, 1213/1/ग	0.101
1227/2/ख	0.107
1226/1/1/1	0.095
1217	0.094
1227/2/क	0.270
1227/1/3	0.035
1215/2/2	0.146
1215/2/4	0.402
1215/2/3	0.136
1201/2	0.046
1194/3	0.020
1194/2	0.102
1194/1	0.146
1195/1	0.136
1195/2	0.146
1197/1/2/1	0.102
1075/2/1	0.305
1075/1/1	0.004
1068	0.345
1065/5/2	0.272
1065/5/1	0.031
1066/2	0.240
1060/2	0.056
1277/1/क/1/2	0.111
1177/1/क/1/1/क	0.055
1240	0.015
1230/1	0.015
1193/1	0.051
1197/1/2/2	0.095
1067	0.095
योग	8.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5821-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—उण्डेली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.560 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.015
1/4	0.190
7/1	0.272
1/2	0.165
1/3	0.140
1/5	0.329
7/2	0.160
2/2	0.020
230/1	0.259
230/2	0.040
236	0.200
237	0.350
238	0.008
239	0.209
243	0.339
247	0.370
264	0.448
266	0.300
275	0.565
397	0.354
418	0.170
423/2	0.075
424	0.289
405/1/1	0.130
405/1/2	0.239
405/1/3	0.080
405/2/2	0.170
417/2	0.110
417/3	0.110

(1)	(2)
404/2	0.354
427/3	0.100
योग	6.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5823-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—राजपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.826 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
403/15/1	0.310
405/5/2	0.010
405/6	0.100
406/2/1	0.040
403/15/2	0.170
410	0.105
412	0.105
413	0.011
417	0.220
416	0.230
424/1	0.040
424/2	0.090
425	0.140
455	0.100
465/1	0.020

(1)	(2)	(ग) ग्राम—मोरगाँव	(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.556 हेक्टेयर.
461/1	0.270		
461/2	0.230	खसरा	अर्जन हेतु
465/2	0.030	क्रमांक	प्रस्तावित क्षेत्रफल
638/1	0.100		(हेक्टेयर में)
639	0.240	(1)	(2)
640	0.050	758	0.042
641	0.105	760/2/ख, 772/1, 773/2	0.215
665/3	0.270	760/2/क	0.262
665/4	0.259	760/1/ख/2	0.052
675/1	0.150	760/1/ख/1	0.136
667/3	0.800	753/6	0.188
665/5	0.051	753/2	0.113
674/1	0.015	753/5	0.148
676/1	0.200	752/4	0.032
676/2	0.480	753/1	0.084
456	0.430	753/3	0.111
457/2	0.090	749	0.146
459	0.560	695	0.389
460	0.230	689/2/ख/2/1/2	0.056
462/1	0.025	689/2/ख/2/1/1/1	0.136
679	0.150	689/2/ख/1	0.253
691/1	0.390	614	0.199
646	0.010	620	0.426
योग . . .	6.826	622/1	0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”		623/5	0.126
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		623/4	0.016
		619	0.243
		105/2/1	0.010
		105/2/2	0.021
		105/2/3	0.042
		95	0.021
		100	0.010
		99	0.261
		105/1	0.250
		104	0.376
		689/2/ख/2/1/1/2	0.168
		689/ख/2/2	0.057
		689/2/क	0.137
		689/1	0.225
		93, 94	0.336
		101, 97	0.065
		90	0.199
		योग . . .	5.556

प्र. क्र. 5825-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”	(1)	(2)
	129/1	0.240
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	97	0.178
	98/2	0.408
	99/2	0.136
	98/1	0.251
	99/1	0.245
	25/1	0.010
	25/2	0.450
	26	0.387
	17/2	0.098
	17/3	0.199
	148/3	0.220
	148/2/1	0.261
	149/1	0.251
	149/2	0.217
	17/1	0.293
	225/1	0.042
	148/2/2	0.063
		योग . . . 8.219

प्र. क्र. 5827-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—केशरपुरा-निपानिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.219 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206/2/2	0.125
206/2/1	0.770
213/1	0.376
213/2	0.125
215	0.273
217	0.345
219	0.324
96	0.125
222/3/2	0.052
222/3/1	0.021
223/4	0.102
223/3	0.230
223/2/3	0.088
223/2/1	0.109
223/1	0.610
141/1/ख/1	0.085
141/1/क/1	0.085
141/1/क/2	0.085
129/2	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 28 मई 2018

प्र. क्र. 5935-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—डाडूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.050 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.080
18	0.100
20/3	0.034
20/4	0.210
20/5	0.167
21	0.460
25/2	0.210
26	0.330
27	0.160
29/2	0.040
30	0.330
42	0.385
32/1	0.355
70/2	0.050
70/3	0.005
74	0.134
योग . . . 3.050	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5937-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—सरदारपुर  
(ग) ग्राम—बड़वेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.803 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1054/1/3	0.370
1054/1/5	0.354
1054/1/11	0.084
1054/1/10	0.084
1054/1/9	0.045
1044/4	0.084
1044/3	0.077
1044/2	0.059
1044/1	0.021
1034	0.575
1039	0.053
1035	0.202
1036	0.105
1038/3	0.125
1038/4	0.418
993	0.115
982/1	0.030
985	0.075
955/2	0.490
955/3/2	0.177
955/3/1	0.170
955/4/2	0.105
956/1	0.468
934/4	0.110
934/7	0.041
934/5	0.090
934/6	0.050
372/2	0.438
371/1	0.277
371/2/2	0.262
371/2/1	0.190
361/1	0.261
377/1	0.684
379/2/1/1	0.015
325/2	0.365
325/1/1/1/1/1	0.191
326	0.219
328/1	0.373

(1)	(2)
331	0.366
321/2	0.261
321/1	0.366
310	0.678
318	0.063
315	0.327
955/4/3	0.220
957/1	0.200
957/2	0.152
957/3	0.152
956/2	0.083
273/1	0.010
272/1	0.050
271/1	0.023

योग . . . 10.803

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे धार-इंदौर के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 25 मई 2018

नस्ती क्र. 145-एलए-2017-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-17-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा

43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—सहेजला  
(घ) अर्जित रकबा—0.04 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
91	0.04
योग :	0.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक को रास्ता उपलब्ध कराने बाबत
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 मई 2018

क्र. 2741-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं

है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—सिवनी  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-टोलापिपरिया, ब. नं.-234,  
 प.ह.नं.-30, रा. नि. मं.-बंडोल.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला 2.18 हेक्टेयर एवं  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर  
 आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168/1	0.10
168/2	0.25
169	0.29
181	0.20
172	0.98
180	0.10
93/8	0.08
93/6	0.04
93/4	0.14
योग . .	2.18

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्र पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2742-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—सिवनी  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बीसापुर, ब. नं.-523,  
 प.ह.नं.-29, रा. नि. मं.-बंडोल.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला 1.21 हेक्टेयर एवं  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर  
 आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
164	0.06
162/3	0.05
162/1	0.11
38/2	0.11
37	0.25
34	0.07
28	0.24
30	0.11
29	0.21
योग . .	1.21

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बीसावाड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.



(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 116 117 118 119	(2) 0.19 0.25 0.45 0.60
(4) अर्जित की जाने वाली कार्यालय उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.	136 173/2 173/1 174 177/2	0.28 0.24 0.22 0.73 0.12
क्र. 2743-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	198/1 199 200 201 203 134/1 134/3 134/2 134/4 134/5 208/2 209 231/4	0.08 0.06 0.25 0.10 0.42 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.72 0.30 0.30

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—सिवनी	227	0.72
(ख) तहसील—सिवनी	226/2	0.08
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पटरा, ब. नं.-316, प.ह.नं.-29, रा. नि. मं.-बंडोल.	226/3 225	0.22 0.28
(घ) अर्जित किये जाने वाला 8.95 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	228 223/3 252	0.06 0.01 0.43

### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	योग . . . 8.95

138	0.36
95	0.04
111	0.32
112/2	0.20
112/3	0.02
113	0.12
114	0.09
115	0.10

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2744-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-थांवरी, ब. नं.-264,  
प.ह.नं.-37, रा. नि. मं.-बंडोल.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला 0.80 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर  
आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
293/5	0.07
293/6	0.42
293/9	0.09
293/7	0.22
योग . . .	0.80

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2745-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-राहीवाड़ा, ब. नं.-519,  
प.ह.नं.-31, रा. नि. मं.-बंडोल.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला 0.20 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— प्रस्तावित क्षेत्रफल पर  
आने वाली संपत्तियां.

#### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
183	0.20
योग . . .	0.20

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यववर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

सिवनी, दिनांक 7 जून 2018

क्र. भू-अर्जन-2946-0011(अ-82)2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—  
 (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—घंसौर  
 (ग) ग्राम—बरोदामाल, प.ह.नं.-26,  
 रा. नि. मं.-कहानी.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.97 हे.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-बरोदामाल (निजी भूमि)	
290/2	0.09
290/3	0.04
312/1	0.04
315/1	0.04
315/2	0.06
315/3	0.04
315/4	0.04
316	0.16
318	0.20
335	0.14
336	0.12
योग (निजी भूमि)	0.97
कुल योग	0.97

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है:—सरोरा जलाशय परियोजना (बांयी तट नहर कार्य) निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2947-0010(अ-82)2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—  
 (क) जिला—सिवनी  
 (ख) तहसील—घंसौर  
 (ग) ग्राम—सरोरा, प.ह.नं.-27,  
 रा. नि. मं.-कहानी.  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.12 हे.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-सरोरा (निजी भूमि)	
2	0.07
3	0.10
5	0.10
6/1	0.12
14	0.16
15/2	0.04
17/4	0.06
17/8	0.07
18	0.10
102/2	0.10
103	0.04
110	0.07
104	0.09
111	0.07
123	0.05

(1)	(2)
124	0.10
127	0.07
138	0.03
145/1	0.02
159/1	0.01
169	0.08
192	0.03
193/1	0.04
194	0.08
200/1	0.06
202	0.10
197	0.02
201	0.05
238	0.05
239	0.14
योग (निजी भूमि) . .	2.12
कुल योग	2.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है:—सरोरा जलाशय परियोजना (दांयी तट नहर कार्य) निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 5 जून 2018

प्र. क्र. 557-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर  
(ख) तहसील—इन्दौर  
(ग) ग्राम—नैनोद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.110 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151/1	0.055
151/2	0.055
योग . .	0.110

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इन्दौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कर्ब सुधार निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी देपालपुर तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 जून 2018

क्र. 1115-प्रशा.-भू-अर्जन-18.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
		139	0.094
अनुसूची		140	0.070
(1) भूमि का वर्णन—		141	0.240
		150	0.064
(क) जिला—रीवा		151	0.425
(ख) तहसील—जबा		152	0.117
(ग) ग्राम—देवखर		153	0.051
(घ) क्षेत्रफल लगभग—27.290 हेक्टेयर.		154	0.120
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	155	0.100
(1)	(2)	156	0.268
अ-निजी पट्टे की भूमि		157	0.073
66	0.340	158	0.360
67	0.110	159	0.166
70	0.440	160	0.124
71	0.404	161	0.800
72	0.119	162	0.312
73	0.088	170	0.648
83	0.174	175	0.350
84	0.235	176	0.180
85	0.113	189	0.030
86	0.218	190	1.421
87	0.142	191	1.925
88	0.115	440	0.150
100	0.320	441	0.500
101	0.085	442	0.419
102	0.493	443	0.496
123	0.002	476	0.098
124	0.179	477	1.639
125	0.204	478	0.418
126	0.350	479	0.308
127	0.322	481	0.770
128	0.218	482	0.038
131	0.679	483	0.770
132	0.260	484	0.546
133	0.254	507	0.256
134	0.180	508	0.192
135	0.100	509	1.036
138	0.795	510	0.420

